[Shri K. C. Pant]

I am sure that the House will join me in congratulating the staff of the Department of Atomic Energy who have worked sincerely and with single-minded devotion to bring this project to fruition and in conveying our gratitude to the Government of Canada for the assistance they have rendered us in this project of national importance.

## THE DELHI ADMINISTRATION (AMENDMENT) BILL, 1968—*continued.*

**डा० भाई महावीर** (दिल्ली) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं दिल्ली प्रशासन संशोधन विधेयक 1968 को इस सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, इस विधेयक का लक्ष्य क्या है और किस लिए यह विधेयक इस माननीय सदन में प्रस्तुत करने की आवश्यकता मुझे अनुभव हुई, इसके संबंध में कुछ स्पष्टीकरण आवश्यक प्रतीत होता है । जैसा कि हम सब जानते ह, 1966 में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऐक्ट पास हुआ जिसके अनुसार वर्तमान महानगर परिषद की स्थापना हुई और आज जो ढांचा दिल्ली के अंदर है यह बना उस समय महोदय, जब कि जो दिल्ली एड्मिनिस्ट्रेशन ऐक्ट बना था उसकी कुछ धाराओं के ऊपर शंकाएं प्रकट की गई थीं, इस सदन के अंदर भी और प्रवर समिति के अंदर भी । यह कहा गया कि यह विधेयक दिल्ली के लोगों को वह अधिकार नहीं देता जो सारे देश के लोगों को प्राप्त हैं । यहां के जो शासन-कर्ता होंगे उनके हाथ में यह अधिकार नहीं होगा कि वे लोगों की इच्छाओं और भावनाओं के अनुरुप काम कर सकें । सीधे शब्दों में कहना हो तो वे जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति, जनता के प्रति, उत्तरदायी नहीं होंगे—वे नामांकित होंगे राष्ट्रपति की ओर से जिसका अर्थ है गृह मंत्रालय की ओर से, और गृह मंत्रालय के नामांकित व्यक्ति होने के कारण वे अपने आप को उत्तरदायी समझेंगे केन्द्रीय सरकार के प्रति और वही बात करेंगे जो कि केन्द्रीय सरकार उनसे करवाना चाहेगी और करवाने के लिए उन्हें इशारा देगी । जब ये शंकाएं महोदय, प्रगट की गई थीं तो इस सदन में और दूसरे सदन में आश्वासन भी दिए गए और कहा गया कि जो कार्यकारी पार्षद बनेंगे वे निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे । जो नामांकित सदस्य होंगे उनके बारे में भी प्रश्न उठाया गया था कि नामांकन की पद्धति क्यों रखी गई है? नामिनेटेड मेम्बर्स मेट्रोपालिटिन कौंसिल के अंदर रखने की प्रथा तो सरकार ने जारी रखी है, यह क्यों सरकार ने इस विधेयक के अंदर डाला है? जब यह प्रश्न उठाया गया महोदय, तो उस समय जो जवाब सरकार के प्रवक्ताओं की तरफ से दिए गए, मैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । महोदय, यह मैं राज्य सभा के अंदर 19-5-66 के दिन हुई चर्चा का थोड़ा सा उल्लेख कर रहा हूं । श्री जयसुखलाल हाथी ने उस समय कहा था, जो राज्य मंत्री थे गृह मंत्रालय में —यदि मैं गलती नहीं कर रहा तो—कि :

"Sir, so far as this question of democratic election and all that is concerned, as Mr. Chordia has said, I may point out that this is not a provision only incorporated in this Bill. Even in the Union Territories Act, where there is a legislative assembly, there is a provision for nominating three persons."

इस पर श्री गौडे मुराहरि, जो अब इस सदन के उप-सभापति हैं, उन्होंने यह कहा कि वह भी गलत है और इसके आगे डा० हाथी ने कहा :—

"It is not wrong. It means that certain interests may not be represented and they have to be given representation. It is not that there will be all the five nominated members."

[ repeat, Sir,

"It is not that there will be all the five nominated members. It may be that no one may be nominated. The provision is an enabling provision to appoint not more than five. It may be one, it may be two, it may not be anybody. In case there are some sections like ladies or women or some backward classes, if they do not get elected, then it is the duty of the Government to see that they do not go unrepresented. It is, therefore, that this is made."

महोदय, यह जो जवाब दिया गया तो स्वाभाविक रूप से उसकी यह मंशा थी, साफ तौर से यह कहा गया है कि जो कोई ऐसे हित रह गये हैं जिनका प्रतिनिधित्व महानगर परिषद में नहीं हुआ है, उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए महानगर परिषद को व्यापक स्वरुप मिले, इस वास्ते यह नामांकन का सहारा लिया जा रहा है। महोदय, जो हुआ है वह उसके बिल्कुल भिन्न हुआ और जिसको मैं आपके सामने उपस्थिति करूंगा। इसके अतिरिक्त मैं एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूं कि जब 11-12-65 को राज्य सभा के अन्दर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर चर्चा हुई, तो फिर श्री हाथी ने कहा :—

"Then Shri Bhargava raised the point that those four Executive Councillors will be nominated by the Administrator. Now, if you have to have four people outside the people elected, then it is a step liable to be criticised. But what the President is going to do is to nominate them from among the elected members. They are the representatives of the people. Out of the 42, all the four that will be nominated will be elected by the people. Therefore, it is not correct to say, as Shri Bhupesh Gupta has said, that they would be the stooges of the Home Ministry, unless the Home Minister has a hand in getting them elected."

श्री भूपेश गुप्त ने इसके पहले कहा था कि जो नामांकित मेम्बर, नामिनेटड मेम्बर :—

**"(they would be) the fifth column of the Home Ministry planted in an institution bereft of real power."**

उसके जवाब में श्री हाथी जी ने जब सिलेक्ट कमेटी का प्रोसीडींग हुई थी कहा था तीन जनवरी 1966 को और जिसके दो, तीन वाक्य का उद्धरण देकर मैं पुष्ट करूंगा। उस समय डा० सरोजिनी महीषी ने यह सवाल पूछा था और जवाब दे रहे थे श्री एच० के० एल० भगत, जो इस समय दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और दूसरे सदन के सदस्य हैं। मैं समझता हूं कि दिल्ली कांग्रेस में उनका एक विशिष्ट स्थान है। उनसे उन्होंने पूछा, . . .

"You mean that even though the four Executive Councillors are' nominated,- one of them should be Chief Executive Councillor and the. others should be nominated on his advice?"

"SHRI H. K. L. BHAGAT: Yes, this gives status and authority to both the Executive Council and the Metropolitan Council and ensures smooth working in collective functioning."

DR. MAHISHI: These four should be members drawn from the elected • members?

SHRI BHAGAT: Yes.

DR. MAHISHI: If the Delhi Corporation in its wisdom has not found it advisable to have an elected member for Mayorship, how is it you are advocating this? Mayor is appointed from among the Eldermen.

SHRI BHAGAT: The same argument will apply to Parliament. The Members of the Rajya Sabha are indirectly elected, but there is a difference between a Nominated Member and an indirectly elected Member there. In choosing the present Mayor arid certain other Mayors previously

we acted in the best interests of Delhi. It is a question of what you think best at a particular time. We are against nominated members being put as Executive Councillors."

महोदय, यह श्री भगत ने कहा, यह श्री हाथी ने जवाब दिया इस सदन में और इसी तरह का जवाब दूसरे सदन में दिया गया, जिसका अर्थ साफ है कि दिल्ली की मेट्रोपोलिटिन कौंसिल के अन्दर जो कार्यकारी पार्षद, एग्जीक्यूटिव कौंसिलर बनाए जाने वाले थ सरकार आन रिकार्ड है इस बात के वादे पर कि वे नामांकित नहीं होंगे, चुने हुए सदस्यों में से होंगे और साथ में यह कि नामांकित सदस्य वे होंगे जो ऐसे कुछ विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करते होंगे जो अनरिप्रजेंटेड रह गए। आज, महोदय, दिल्ली को महानगर परिषद् में जो सदस्य नामांकित हुए हैं, वे ऐसे किसी विशिष्ट हित का प्रतिनिधित्व करते दिखाई नहीं देते। मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्री मोर मुश्ताक अहमद या श्री राधारमण या श्री दारा—ये किसी एक विशिष्ट हित का प्रतिनिधित्व करते हैं या उस कम्युनिटी या वर्ग के लोग चुने नहीं गए थे? ऐसा कुछ नहीं है। वे राजनीतिक कारणों से और सत्तारूढ दल के अपने कारणों के प्रभाव से वहां पर नामांकित किए गए। और सबसे महत्व की बात यह है, जिसके बारे में यहां पर बार-बार आग्रह किया क्या और आश्वासन दिया गया कि कार्यकारी पार्षद निर्वाचित सदस्य ही होंगे। इसी का उल्लंघन खुलेआम दिल्ली के अन्दर केन्द्रीय सरकार की छत्रछाया में केन्द्रीय सरकार के द्वारा ही हो रहा है। श्री राधारमण मुख्य कार्यकारी पार्षद हैं, उन्हें आज 6 महीने से अधिक समय हो गया। कोई चीफ मिनिस्टर होता किसी राज्य में तो उसको इतनी देर में या तो इस्तीफा देना पड़ता या अपना चुनाव करवाना पड़ता, लेकिन यहां पर मुख्य कार्यकारी पार्षद है जिनको न चुनाव करवाने की जरूरत है और न ही उनको इस्तीफा देने की जरूरत है। यह स्थिति यह बताती है कि केन्द्रीय सरकार दिल्ली को या तो घटिया नागरिकों का इलाका समझती है जो निर्वाचन, चुनाव के अधिकारों के योग्य नहीं, वे इतने लायक नहीं हैं कि उनको अपने प्रशासन को चलाने वाले चुनने का अधिकार दिया जाय और इस वास्ते इस तरह का स्पष्ट आश्वासन देने के बाद भी उसका उल्लंघन करके यहां पर एक नामांकित सदस्य को दिल्ली के प्रशासन का प्रमुख बना कर रखा गया है। महोदय, मेरे इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य इसी में से प्रगट हो ता है। नामांकित सदस्यों द्वारा शासन चलाने की जो पद्धति केन्द्रीय सरकार ने चलाई है, वह दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय है और इस वास्ते इसको बदलना चाहिए। दिल्ली के लोगों को सरकार यदि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देती तो भी पूर्ण राज्य का जो सार है, एसेन्स है, वह तो देना चाहिए और इसलिए मैंने जो इसमें उद्देश्य बताए हैं वे इसी आशय के हैं। यह विधेयक जब प्रस्तुत किया गया था, उसको 4 साल से ऊपर का अर्सा हो गया। आज की स्थिति में तो मैं इससे और आगे जाना चाहता हूं। उस समय जो भाव रखे गए थ वे यह थे।

श्रीमन् जो दिल्ली प्रशासन विधेयक सरकार ने पास किया था, उसकी एक-दो धाराओं की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। यह महत्वपूर्ण है। धारा 27 का एक भाग है जिसमें यह कहा गया है कि यदि एग्जीक्यूटिव कौंसिल और एडमिनिस्ट्रेटर, जो प्रशासक होंगे, उनके दरम्यान मतभेद हो । इस मतभेद को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति को मामला भेजा जायेगा। और उस फैसले को जो राष्ट्रपति देंगे निर्णय मान लिया जायेगा। यही नहीं आगे कहा गया है कि नई दिल्ली के बारे में कोई फैसला नहीं होगा और जो प्रशासक है वही निर्णय करने का अधिकारी

होगा। केवल इतना ही नहीं है कि नई दिल्ली के मामले में प्रशासक को काम करने का अधिकार है, बल्कि यह फैसला भी प्रशासक खुद करेगा यानी अपने अधिकार वह स्वयं ही लेगा और स्वयं ही उन अधिकारों का वह उपयोग भी करेगा। अगर इसके आगे कोई प्रश्न उठा तो यह उसका दूसरा भाग है धारा 27 का :

The Administrator shall preside at every meeting of the Executive council. . .

मैं तीसरे भाग की बात करना चाहता हूं इसको छोड़ कर। उन्होंने कहा :

The functions of the Administrator with respect to law and order in Delhi including organisation and discipline of police force and with respect to such other matters as the President may

लॉ ऐंड आर्डर और ऐसे मामले जिनका राष्ट्रपति संकेत करेंगे या जिनके बारे में सूचना देंगे, स्वाभाविक रूप से इसका अर्थ यह निकलता है कि लॉ ऐंड आर्डर या उससे मिले हुये प्रश्नों के बारे में जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको विशेष अधिकार दिये जायेंगे। परन्तु केवल यहीं तक नहीं हुआ, बल्कि उसके बिलकुल विपरीत हुआ। ऐसे प्रश्न जिनका ला ऐंड आर्डर से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था उनको भी रिजर्व करने की कोशिश की गई। महोदय, यह चौथा भाग है :

from time to time specify in this behalf shall be exercised by him in his discretion.

If any question arises as to whether any matter is or is not a matter as respects which the Administrator is by or under this Act required to act in his discretion, the decision of the Administrator thereon shall be final.

यानी वही फैसला करेगा कि मुझे इसमें डिस्क्रिशन में कार्य करने का अधिकार है या नहीं। इसका फैसला भी वह स्वयं करेगा।

पांचवें भाग में यह है :

If any question arises as to whether any matter is or is not a matter as respects which the Administrator is by or under this Act is required to exercise any judicial or quasi judicial function, the decision of the Administrator there on shall be final.

महोदय, सारा इसका निचोड़ यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर को विशेष कुछ सब्जेक्ट्स दिये गये हैं और कुछ स्कोप रखा गया है कि उन विषयों को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उन विषयों में यदि सचमुच केन्द्रीय सरकार के मन में यह आशंका थी कि केन्द्रीय सरकार की राजधानी होने के कारण यहां पर कानून और न्याय में कहीं कोई ऐसी गड़बड़ न हो जाय कि केन्द्रीय सरकार के काम में बाधा हो तो यह स्पष्ट किया जा सकता था कि लॉ ऐंड आर्डर का प्रश्न दिल्ली की कार्यकारी परिषद् को नहीं दिया जायेगा और उसके अतिरिक्त और कोई मामला नहीं लिया जायगा। लेकिन, महोदय, हाउसिंग को ले लिया जाय और केवल हाउसिंग ही नहीं लोकल बाडीज ट्रांसफर्ड सबजेक्ट हैं। लोकल बाडीज दिल्ली प्रशासन का अपना विषय है, लेकिन लोकल बाडीज में जो नई दिल्ली नगरपालिका आती है, उसके सदस्यों का नामांकन केन्द्रीय सरकार ने रिजर्व सबजेक्ट बनाया हुआ है। मैं नहीं समझता कि नई दिल्ली नगरपालिका के सदस्य यदि दिल्ली प्रशासन की तरफ से मनोनीत हों या नामांकित हों तो उससे कौन सी बड़ी आपत्ति केन्द्रीय सरकार के लिये या केन्द्रीय सरकार के द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के लिए रैंदा होगी। यह समझने के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं है। परन्तु महोदय, इस सारे विधेयक के अंदर जो तत्व है वह यह है कि सरकार अपने हाथ में सारी चाभियां रखना चाहती है और उन चाभियों से जहां पर जिस वक्त जो कार्यवाही करना उसको उचित लगता

[डा० भाई महावीर]

है वह करते रहना चाहती है और वैसा ही सरकार करती रही है। परिणाम यह हुआ है कि दिल्ली के अंदर चुने हुए लोग और दिल्ली की निर्वाचित महानगर परिषद् केवल एक डिबेटिंग सोसाइटी बन कर रह गयी। वहां पर क्या विचार होता है, किस बात पर मत प्रकट किये जाते हैं, क्या प्रस्ताव पास होते हैं; केन्द्रीय सरकार को क्या सुझाव दिये जाते हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। केन्द्रीय सरकार की गाडी अपनी रफ्तार से चलती है और वह उसको इतना ही महत्व देती है, जितना कि किन्हीं स्कूलों में माक पार्लियामेंट के सेशन होते हैं और वहां बच्चों को वाद-विवाद करा दिया जाता है, उसी प्रकार से इस मैट्रोपोलिटन कौंसिल को कोई अधिकार नहीं दिया जाता। यह स्थिति जो चल रही है, मैं इसके बारे में आपके सामने कहना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने दिल्ली के भावी ढांचे, प्रशासनिक ढांचे पर विचार किया था और 1969 में उन्होंने यह सिफारिश की थी कि for all practical purposes the Metropolitan Council should be treated as a State Assembly. चाहे शब्दों में न हो, फिर भी व्यवहार में ऐसी परंपरा बनानी चाहिए, ऐसा कन्वेंशन बनाना चाहिए कि मैट्रोपोलिटन कौंसिल को वही सत्ता मिले, वही अधिकार मिलें, वही प्रतिष्ठा मिले जो कि किसी राज्य में राज्य की विधान सभाओं को मिलती है। यह सब होने के बाद भी, महोदय, वास्तव में जो हुआ है वह बिलकुल भिन्न है और ऐसा हुआ है कि उसके कारण दिल्ली के सब लोगों को उनके सारे जीवन में एक बड़ी कमी और एक बड़ा असंतोष हो गया है, उस का कारण हो गया है। मैं आपके सामने दो, तीन उदाहरण इस संबंध में रखना चाहूंगा। दिल्ली के प्रशासन ने, कार्यकारी परिषद् ने 1969 में एक एज्यूकेशन बिल का सुझाव केन्द्रीय सरकार को दिया था—दिल्ली एज्यूकेशन बिल, दिल्ली शिक्षा विधेयक के नाम से और उसमें क्या था, महोदय? क्या उसमें कोई आपत्तिजनक बात थी? क्या उसमें कोई ऐसी बात थी जिससे कहा जा सकता था कि यह तो जनसंघ वाले हैं, यह केन्द्रीय सरकार की जड़ उखाडना चाहते हैं या श्रीमती इन्दिरा गांधी, जो उस समय आ गयीं थीं, उनके आसन को खोखला करना चाहते हैं। क्या ऐसी बात थी? ऐसी बात नहीं थी। इस विधेयक में यह कहा गया था कि जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं, उन को सिक्योरिटी आफ सर्विस दी जाय और 60 साल की अवस्था होने पर वह अवकाश ग्रहण कर, उनका रिटायरमेंट हो। इस समय यह अवस्था 58 है। एक यह सुझाव था कि उनकी जो सैलरीज हैं, वह सरकारी खजाने से, ट्रेजरी से दी जाया करें और जो 5 प्रतिशत स्कूलों को देना पड़ता है वह स्कूलों की तरफ से उनको मिले। यह महोदय, एक ऐसा सुझाव था, ऐसा सुधार था, जिसके बारे में जो भी केन्द्र के शिक्षा मंत्री आये, एक के बाद दूसरे और उसमें श्री त्रिगुण सेन भी थे, डा० सेन जो इस समय सदन के माननीय सदस्य हैं, वे पहले शिक्षा मंत्री थे, उनके बाद डा० वी० के० आर० वी० राव शिक्षा मंत्री थे, उसके बाद श्री सिद्धार्थ शंकर राय आये, जो इस समय वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बन कर चले गये हैं। तो डा० राव आये और गये, श्री त्रिगुण सेन आये और इस वक्त सदन के मात्र सदस्य बन कर रह गये हैं, लेकिन वह विधेयक जो था, जो अध्यापकों की सेवा की शर्तों में सुधार करने के लिए लाया गया था, वह वहीं का वहीं पड़ा है और उस पर दीमकडियां जाले बुन रही हैं, धूल की परतें उस पर जमा होती जा रही हैं। उसके बाद दिल्ली सेल्स टैक्स बिल आया, सेल्स टैक्स में सुधार लाने के लिए दिल्ली एक ऐसा स्थान है, जो एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर है। बाहर से बहुतसा उत्पादन हो कर यहां आता है और बहुतसा उत्पादन यहां भी होता है और

फिर यहां से बहुत सा माल बाहर भी जाता है। तो इस तरह दिल्ली व्यापार का एक बड़ा केन्द्र बन गया है, इसलिए यहां पर मल्टी प्वाइंट सेल्स टैक्स नहीं रहना चाहिए, एक स्थान पर, सोर्स पर वह लगे, यह सुझाव उस बिल में दिया गया था। लेकिन वह सुझाव भी न जाने कहां फाइलों में खो गया। पता नहीं किस मंत्रालय की किस अलमारी में दबा हुआ है इसका कोई ठीकाना नहीं। उसे चूहों ने खा लिया है या दीमक उसको चाट गयी है, मैं नहीं जानता।

इसके बाद सहकारी समितियों के बारे में सुझाव दिया गया। उनके अंदर जो भ्रष्टाचार है, उसको जानते हुए भी प्रशासन अपने को समर्थ नहीं पाता उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए। इसलिए यह सुझाव दिया गया कि इसके द्वारा उसमें कुछ सुधार लाया जाय, लेकिन वह सब भी वहीं का वहीं रह गया।

महोदय, यह तो विधेयक थे, जिनका मैंने अभी जिक्र किया। एक प्रस्ताव में दिल्ली महानगर परिषद् ने यह सुझाव दिया कि दिल्ली में हायर सेकेंडरी एज्यूकेशन तक एज्यूकेशन निःशुल्क होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, यह सुझाव दिया गया कि दिल्ली के अंदर जो झुग्गी झोपडी वाले हैं, जो उनके निवासी हैं, जिनको उन स्लम्स में से निकाल कर अच्छी जगहों में छोटी-छोटी जगहें दी जाती हैं, छोटे-छोटे झोपडे दिये जाते हैं, उनको अपने उन स्थानों को छोटे-छोटे क्वार्टरों को अपना समझने का हक़ दिया जाय उनका मालिक उनको बना दिया जाय, उन को उन क्वार्टरों के स्वामित्व का अधिकार दिया जाय और मैं समझता हूं महोदय, कि यह एक ऐसा कदम है, ऐसा सुझाव है कि जो समाजवाद के खिलाफ नहीं जाता, जो बहुत छोटा, निम्न वर्ग का आदमी है, उसको यदि आप स्वामित्व का अधिकार दे दें 20,30, 40 गज के टुकड़े पर तो उन को लगता है कि उससे उनकी कुछ प्रतिष्ठा बढी है, लेकिन यह भी वहीं का वहीं रहा। इतना ही नहीं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो हैं, उनके लिए भी इसी तरह का सुझाव था, वह सब महोदय, वैसे का वैसा रहा। दिल्ली कार्यकारी परिषद् ने दो करोड़ रुपया अनएम्प्लायमेंट एलाउंस के तौर पर बेकारों को भत्ता देने के लिए अपने रेवेन्यू में से देना चाहा, उसके लिए सुझाव रखा, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया, उसे स्वीकार करना उचित नहीं समझा।

महोदय, रिहैबिलिटेशन की कालोनिज हैं, देश के विभाजन के बाद पुनर्वास के लिये जो बस्तियां बसाई गई हैं वह हैं, डी० डी० ए० की कालोनीज हैं और झुग्गी-झोंपड़ी कालोनीज हैं, इन सब कालोनीज में जिनको गवर्नमेंट ने डेवलप किया है और जिनमें प्लाट्स की पूरी कीमत भी लोग दे चुके हैं, उनमें उन प्लाट्स को फ्री-होल्ड बना दिया जाय, उनके स्वामित्व का अधिकार निर्बाध कर दिया जाय, यह सुझाव आने के बाद भी केन्द्रीय सरकार ने इसको स्वीकार करना उचित नहीं समझा, आवश्यक नहीं समझा।

महोदय, एक करोड रुपया दिल्ली प्रशासन ने पिछले वर्ष स्कूटर चलाने वालों, टैक्सी चलाने वालों, साइकिल रिक्शा वालों और हाथ-ठेला खींचने वालों को साढ़े चार रुपये प्रतिशत के ब्याज के ऊपर आसान और सस्ते ऋण के रूप में देने के लिये, ताकि वे अपने-अपने वाहनों के मालिक बन जायं, सुझाव रखा। आज इसका औचित्य बताने की जरूरत नहीं; क्योंकि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद जिन थोड़े से टैक्सी चालकों को सरकारी बैंकों ने कर्जा दिया उसका बहुत बड़ा इश्तिहार किया गया और कहा गया कि बहुत बड़ा सुधार हो गया है। इस सुझाव में भी साइकिल रिक्शा वाले और हाथ-ठेला खींचने वाले लोगों को सस्ता ऋण देने का सुझाव था और यह कहा गया था कि इससे जो

[डा० भाई महावीर]

कुछ पैसे वाले हैं जो उनको ऋण दे कर उनका शोषण करते हैं, उनके हाथ से यह मुक्त हो सकेंगे, राष्ट्रीयकृत बैंक 11 प्रतिशत पर ऋण देते हैं और दिल्ली प्रशासन ने साढ़े चार प्रतिशत पर ऋण देने का सुझाव दिया था, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने इसको भी नहीं माना। इसके लिये केन्द्र से अलग से पैसा नहीं मांगते थे। जो पैसा दिल्ली को दिया गया है, जो पैसा दिल्ली प्रशासन का अपने साधनों में से बचाना था वह पैसा ही इन छोटे वर्ग के लोगों को साढ़े चार प्रतिशत ब्याज पर अपने उत्पादन के अपनी आजीविका के साधन के खुद मालिक बनने के लिये जो दिया जाने वाला था, उस पर भी केन्द्रीय सरकार ने अपनी मंजूरी की मुहर नहीं लगाई।

इस सबका परिणाम क्या हुआ, महोदय? परिणाम यह हुआ कि दिल्ली के कार्यकारी पार्षद, महानगर परिषद् और दिल्ली के जो राजनैतिक दल हैं—दूसरे दल भी हैं लेकिन सत्तारूढ़ दल और भारतीय जनसंघ ये दो दल जो दिल्ली के अन्दर ज्यादा स्थान रखते हैं, उन्होंने—इन सबने मिल कर के यह प्रस्ताव दिल्ली की महानगर परिषद् के अन्दर किया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाय, फुल स्टेटहुड दिया जाय और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह प्रस्ताव एकमत से स्वीकृत हुआ, उसका कांग्रेस के सदस्यों ने भी समर्थन किया, जनसंघ के सदस्यों ने भी समर्थन किया, सबके समर्थन के साथ वह प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन केन्द्रीय सरकार इस मामले पर विचार करने को भी तैयार नहीं है। कहा गया कि दिल्ली की बात अलग है, बाकी सबकी बात कहिये, हिमाचल प्रदेश की बात करिये, नागालैंड की बात करिये, मेघालय की बात करिये, अरुणाचल की बात करिये, मीजोराम की बात करिये, लेकिन दिल्ली की बात मत करिये। क्यों? क्यों न करें दिल्ली की बात? कहा जाता है कि दिल्ली की परिस्थिति विशेष है। परिस्थिति की विशेषता क्या है, यह बताने का कष्ट कोई गवारा नहीं करता। लेकिन हम लोग यह देखते हैं कि दिल्ली आर्थिक दृष्टि से समर्थ है, इकानामिकली वायएबिल है। दिल्ली के अन्दर लगभग 110 या 115 करोड़ रुपये का रेवन्यू केन्द्रीय सरकार प्राप्त करती है और जो प्लांड और नान-प्लांड खर्चा मिला कर के केन्द्रीय सरकार दिल्ली के लिये देती है, वह लगभग 95 करोड़ या 100 करोड़ का होता है, यानी यहां से जो प्राप्त होता है उससे कम के अन्दर यहां का खर्चा चलता है, इसलिये दिल्ली केन्द्रीय सरकार के ऊपर कोई बोझा बनेगा ऐसा कोई कारण नहीं। फिर, जनसंख्या हिमाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मनीपुर से, त्रिपुरा से दिल्ली के अन्दर ज्यादा है। दिल्ली औद्योगिक केन्द्र है, दिल्ली का शिक्षा का स्तर उंचा है, दिल्ली के लोग पढ़े लिख हैं, दिल्ली के लोगों के अन्दर साक्षरता ज्यादा है, दिल्ली के लोग अपने राजनतिक कर्त्तव्यों और जिम्मेदारियों को भी मैं समझता हूं कि काफी अनुभव करते हैं—यह कहना कि किसी और राज्य से वह ज्यादा अनुभव करते हैं, तो शायद उन राज्यों के लिये उनके लोगों को अच्छा न लग, फिर भी मैं समझता हूं कि किसी से कम नहीं, अगर हैं तो दिल्ली के लोग अपनी राजनैतिक जिम्मेदारी को ज्यादा अनुभव करने वाले हो गये हैं। यह 580 वर्ग मील का इलाका है जिसमें से, महोदय, केन्द्रीय सरकार को अगर रखना ही है तो आठ—दस वर्ग मील का इलाका, जिसमें केन्द्रीय सचिवालय या संसद् भवन या राष्ट्रपति भवन है इसको अलग भी रखना आवश्यक हो तो भी उसे रखने के बाद बाकी के इलाके को दिल्ली राज्य का दर्जा दे कर के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा प्रशासन चलाने के कारण जो सुविधा मिलती है, उत्तरदायी शासन होने के कारण जो जनता की भावनाओं के प्रति उसकी जैसी रेस्पांसिवनैस होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, वैसी यहां पर भी पैदा हो जाए, यह मांग की जा रही है, लेकिन यह मांग

केन्द्रीय सरकार मानने के लिए तैयार दिखायी नहीं देती। कहा जाता है महोदय, कि दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता। दुनिया के अंदर सब तरह के उदाहरण हैं। टोकियो जापान की राजधानी है, लेकिन वह म्युनिसिपल सेन्टर भी है, स्टेट का कैपिटल भी है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट की सीट भी है, सारी चीजें वहां पर हैं और श्रीमन्, वहां कोई कठिनाई नहीं होती। इसी तरह से बर्लिन स्टेट का कैपिटल भी है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट की सीट भी है और हम सब जानते हैं विलियम ब्रैंड्ट इस समय पश्चिम जर्मनी के चान्सलर हैं, वे स्वयं बर्लिन के मेयर रहे थे। उसी तरह से लंदन के अंदर ग्रेटर लंदन कौंसिल है। यह सब बातें होने के बाद महोदय, खास दिल्ली के लिए ही हम कोई कठिनाई अनुभव करें और यहां के लोगों को राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं तो इसका कोई कारण दिखायी नहीं देता। क्या शौक के लिए लोग यहां राज्य करना चाहते है? शौक के लिए नहीं चाहते हैं और यह मानने में कोई आपत्ति नहीं है, एक समय था जब कि हमारा दल, दिल्ली को एक राज्य का दर्जा दिया जाए, इसके हक में नहीं था। कांग्रेस पार्टी उस समय मांग करती थी, लेकिन हमने उस समय कहा था कि इसकी आवश्यकता नहीं। परन्तु चार-पांच साल के अनुभव के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि दिल्ली के अंदर यह न होने के कारण दिल्ली जो कि देश के अंदर आदर्श नगरी होनी चाहिए, दिल्ली के अंदर प्रगति के निर्बाध अवसर होने चाहिएं, दिल्ली में सारी स्थिति में सुधार होना चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, शिक्षा और पढ़ाई की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए और जो पिछड़ा हुआ वर्ग है हमारे देश का, सामाजिक कल्याण जिनके लिए बहुत जरूरी है, इत्यादि सारे मामलों में दिल्ली को उचित अवसर मिलना चाहिए ताकि सारे देश के लोगों को दिल्ली को देख कर कुछ प्रेरणा ग्रहण करने को मिल सके। यह जो आदर्श दिल्ली का आदर्श हमने अपने जीवन के सामने रखा था वह आदर्श तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक दिल्ली के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अधिकार नहीं मिलते और जनता पर जो टैक्स लगाए जाते हैं, उन टैक्सों को इकट्ठा करके जनहित में खर्च करने का जब तक लोगों के सामने काम दिखा कर विश्वास उत्पन्न नहीं करते, अपना काम दिखा कर कर जनता का विश्वास संपादित नहीं करते। इस कारण से जनसंघ ने दृष्टिकोण बदला। लेकिन महोदय, जब हमने अनुभव करके इस बात का दृष्टिकोण बदला तो इतनी देर में कांग्रेस ने अपना दृष्टिकोण किसी और कारण से बदल लिया। पिछले चुनाव के वक्त दिल्ली कांग्रेस का कमिटमेंट था इस बात के लिए कि दिल्ली को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उसको अपने चुनाव घोषणा पत्र से इसलिए निकाल दिया क्योंकि उनको ऊपर से हुक्म मिला और लोकतंत्र के बड़े ठेकेदार, डेमोक्रेसी के बड़े लम्बरदार ऊपर के हुक्म के आगे बिना सींग पूंछ हिलाए अपने दायित्व से मुंह मोड़ लेते हैं।

दिल्ली प्रकाशन ने समाज कल्याण के लिए, विधवाओं और अपाहिजों के लिए, असमर्थों के लिए तरह-तरह की योजनाएं बनाई थीं—3 लाख विधवाओं के लिए था, 12 लाख वृद्ध और इन्फर्म लोगों के लिए था, लेकिन यह प्रस्ताव दिल्ली कार्यकारी परिषद से तीन बार पास हो जाने के बाद केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार नहीं किया। इससे दिल्ली की पीड़ित दुःखी जनता का कितना भला हुआ, महोदय, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसका विचार आप स्वयं कर सकते हैं।

एक और पहलू है, जिसके कारण दिल्ली के लोगों की कठिनाई दूर करने में परेशानी होती है। दिल्ली में पानी की कमी है। इस संसद् भवन के 2 फर्लांग इधर और उधर भी जो कोठियां हैं संसद सदस्यों की, उनके यहां भी पानी राशन की तरह आता है,

[डा० भाई महावीर]

सीमित समय के लिए आता है, फिर बंद हो जाता है। तो दिल्ली के बहुत सारे लोगों ने कहा पानी मिलता नहीं। हमारी बहुत सी ऐसी आबादियां हैं, जैसे रामाकृष्ण पुरम है, जहां हजारों कर्मचारी रहते हैं, वहां पर मकान की पहली मंजिल, दूसरी मंजिल तक पानी जाता नहीं। इससे गर्मियों में कितनी कठिनाई होती होगी, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। इस पानी की समस्या को हल करने के लिए योजनाएं बनीं। एक योजना यह बनी कि गाजियाबाद में एक ट्यूबवेल रिजर्वोयर बने और वहां से दिल्ली के लिए पानी लाया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को नहीं माना। फिर महोदय, भोजकुंड योजना बनाई गई हरियाणा में, यमुना का पानी जो बाढ़ के दिनों में ज्यादा आ जाता है उसको रोक कर, तमाम उस पानी को, गर्मी के दिनों में दिल्ली की आवश्यकता के लिए काम में लाया जाए, इस वास्ते योजना बनाई। उस योजना में यह भी कहा गया था कि हरियाणा के जो भी गांव और कस्ब इसके क्षेत्र में आयेंगे, उनको पानी देने के बारे में कोई आपत्ति नहीं होगी।

महोदय, उत्तर प्रदेश से रामगंगा का पानी लाने की योजना बनाई गई, परन्तु उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दिया और न ही किसी प्रकार का निर्णय लिया। परिणाम क्या हुआ ? दिल्ली देश का केन्द्र होने के कारण, सारे देश की राजधानी होने के कारण यहां पर हजारों लोग आते रहते हैं। अपने व्यापार के लिए आते हैं, सरकारी काम के लिए आते हैं, अपने-अपने इलाकों की समस्याओं को हल करने के लिए आते हैं और रोजगार की तलाश में आते हैं। स्वाभाविक है, इन चीजों की वजह से दिल्ली की आवश्यकता बड़ी तेजी से बढती रहती है। पानी की आवश्यकता बढ़ती जाती है, आवास की आवश्यकता बढ़ती जाती है, स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता बढ़ती जाती है, सैनीटेशन की आवश्यकता बढ़ती जाती है और इन सबके लिए दिल्ली प्रशासन ने आस-पास के राज्यों से कुछ सुविधाओं की अपेक्षा की थी। जब इस तरह की सुविधाएं नहीं मिलती है तो इसका कारण यह दिखलाई देता है कि दिल्ली प्रशासन का दर्जा ऐसा नहीं है कि वह बाकी राज्यों के साथ बराबरी के स्तर पर बात कर सके। इसका परिणाम यह होता है कि यहां की कठिनायां बढ़ती ही रहती हैं।

महोदय, म्युनिसिपल कारपोरेशन, नगर निगम दिल्ली को केन्द्र की ओर से अपने काम के लिए जितनी धन की सहायता मिलनी चाहिये, उतनी उसको नहीं मिलती है। मुझे यह बात खेद से कहनी पड़ रही है कि उसको केन्द्र की ओर से उचित सहायता नहीं मिलती है और हर सवाल को राजनीतिक दृष्टि से देखा जाता है।

महोदय, इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को यह बात मालूम होगी कि दिल्ली परिवहन संस्था को केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। उसका नाम डी० टी० यू० से बदलकर डी० टी० सी० कर दिया गया है और उसको एक कारपोरेशन का रूप दे दिया गया है। इसका परिणाम क्या निकला ? क्या इसमें सुधार हुआ ? क्या इससे दिल्ली के लोगों की परिवहन की समस्या हल हो गई और क्या लोगों के आने जाने में आसानी हो गई? क्या आज दिल्ली की जनता को बस सुलभ हो गई है और बसों का चलना ज्यादा विश्वसनीय हो गया है ? ऐसी बात नहीं है, बल्कि इससे उलटा ही देखने में आ रहा है। आज डी० टी० सी० का अलोकतंत्रीकरण हो गया है। जहां डमोक्रेटाइजेशन की पूरी बात चलती थी, वहां अब टयथोर ब्योरेक्रेटाइजेशन किसी का हो सकता था, तो आज डी० टी० सी० का कर दिया गया है। इसका परिणाम यह निकला है कि जहां पहले इसका बजट निर्वाचित सदस्यों द्वारा पास होता था, जहां अफसरों को हर बात का जवाब देना पडता था, सेवा

और सुधार के लिए प्रतिनिधि अपनी राय दे सकते थे, वहां अब इस तरह की कोई बात नहीं है। आज डी० टी० सी० का बजट न तो पार्लियामेन्ट के द्वारा पास होता है और न ही महानगर द्वारा पास होता है। कुछ आफिसरों के हाथ में इसको सौंप दिया गया है और आज तक उसका चेयरमैन तक नहीं नियुक्त किया गया है। कोई भी गैर-सरकारी मेम्बर उसके अन्दर नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार समझती है कि उसने बहुत बड़ा सुधार कर दिया है। सुधार कितना हुआ, अगर मंत्री जी दिल्ली की बसों में जाकर सफर करें तब उन्हें मालूम होगा। आज बसों के अड्डों में कितनी बड़ी क्यू लगी रहती है, किस तरह से लोगों को धक्का खाना पड़ता है। बच्चों को सवेरे कालेज और स्कूल जाने के लिए किस तरह से बस की इंतजारी में तपस्या करनी पड़ती है। हमारी बहिन और बटियों को किस तरह से परेशानी और धक्के खाने पड़ते हैं। अगर मंत्री जी किसी दिन बस में सफर करेंगे तो वे इस तरह की चीज आपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन सरकार को इस बारे में कोई चिन्ता नहीं है।

पिछले साल डी० टी० सी० की नई बसें खरीदने के लिए 3½ करोड़ रुपया मिला था, लेकिन उसमें से 2 करोड़ रुपया खाली सैलरी देने में खर्च कर दिया गया। नई बसों को खरीदने के लिए जो रुपया मिला था, उसमें से दो करोड़ रुपया सैलरी देने में लगा दिया गया। क्या यह धन का ठीक तरह से उपयोग हुआ? क्या केन्द्रीय सरकार जो निगम खड़ी करती है, वे इसी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभायेंगे? यह प्रश्न है जो सरकार के सामने आयेगा? प्लानिंग कमिशन ने भी इस बात पर आपत्ति उठाई थी, लेकिन आपत्ति उठाने के बाद भी किसी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ। आज बसें टूटी हुई पड़ी हुई हैं और दिल्ली में नई बसें खरीदने के बाद भी सेवा में किसी तरह का सुधार नहीं हुआ है। जितनी बसें नई खरीदी जाती हैं उससे ज्या। खराब हो जाती हैं और कुल मिला कर बसों की तादाद में वृद्धि नहीं हुई है और इसीलिए दिल्ली में बस सेवा पहले से भी ज्यादा असंतोषजनक है। जब यह बताया गया था तब कहा गया था कि जनसंघ वाले समाजवाद के खिलाफ हैं, इन्होंने निजी वाहकों को बसें चलाने का अधिकार दे रखा है। हम समाजवाद के नाम पर प्राइवेट केरियर्स को हटा देंगे, सब कुछ ले लेंगे लेकिन यह भी नहीं किया गया, जो 51 रूट्स पहले थे वे आज भी उन लोगों के हाथ में हैं। सैद्धान्तिक कोई बड़ी उपलब्ध हुई हो ऐसा भी नहीं। लेकिन एक बात जरूर हुई है। मुझे श्री ओम् मेहता बता रहे थे कि हमने घाटा कम कर दिया है। वह घाटा कैसे कम हुआ? घाटा ऐसे कम हुआ है कि जो पहले साधारण बसें थीं उन सबको एक्सप्रेस कर दिया गया है, 5 पैसे उनका टिकट बढ़ा दिया गया है, हर टिकट पर 5 पैसे ज्यादा हो गए, लेकिन एक्सप्रेस होने से उनकी रफ्तार एक्सप्रस वाली नहीं हुई, वे ज्यादा तेज नहीं चलतीं, साथ ही उनके अन्दर और कोई गुण आया हो ऐसा भी नहीं, वे सब विशेषताएं तो पहले जैसी ही हैं। एक गुण यह था कि पहले बैठने वाला यह समझता था कि मैंने 5 पैसे कम किराए के दिए हैं, इसलिए मैं शायद घटिया हूं। अब वह सोच सकता है कि 5 पैसे ज्यादा देकर एक्सप्रेस में बैठा हूं, इसमें ज्यादा धक्के लगेंगे या ज्यादा देर लगेगी, लेकिन मेरा दर्जा तो नहीं घटेगा, मेरी प्रतिष्ठा तो कायम रहेगी। महोदय, यह स्थिति दिल्ली की बसों के अन्दर है, बसों के राष्ट्रीयकरण से कोई लाभ नहीं हुआ, इस बात की यह मुंह बोलती तस्वीर है, इस बात का मुंह बोलता प्रमाण है।

एक्साइज पोलिसी के सम्बन्ध में मैं केवल दो शब्द कहना चाहता हूं। पिछले दिनों दो-तीन इस तरह की दुर्घटनाएं हुईं जिनमें सैकड़ों लोग जहरीली शराब पीने के कारण मरे, काफी उसकी चर्चा हुई, यहां पर वह प्रश्न उठा और महानगर परिषद् के कार्यकारी परिषदों की तरफ से

[डा० भाई महावीर]

कहा गया कि 15 दिनों के अन्दर नई एक्साइज पोलिसी की घोषणा की जाएगी। महीने बीतने के बाद भी, दो-ढ़ाई महीने बीतने के बाद भी नई एक्साइज पोलिसी घोषित नहीं हुई। केवल इतना ही हुआ है कि नई दुकानें दे दी गई हैं, 6 नई दुकानें खोल दी गई हैं और शराब की 6 नई दुकानें दिल्ली महानगर परिषद के कार्यकारी परिषदों की तरफ से दिल्ली की जनता को स्वतंत्रता की रजत-जयन्ती का तोहफा है। इसके अतिरिक्त और कोई एक्साइज पोलिसी आई हो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। महोदय, यह भी आरोप लगाए गए हैं कि ये दुकानें जिन लोगों को दी गई हैं उन लोगों से पार्टी के लिए पैसा लेकर यह काम किया गया, परन्तु, महोदय, ये प्रश्न ऐसे हैं जिनका मैं अपने सामने केवल जिक्र कर रहा हूं इस सन्दर्भ में कि दिल्ली के लोगों के लिए जब तक उत्तरदायी शासन नहीं होगा जो आलोचना का, हर प्रश्न का जवाब दे सके, तब तक यहां पर लोकतंत्र की जो भावना है वह भी सुरक्षित नहीं रहेगी और वहां पर प्रशासन भी ठीक नहीं चल सकेगा।

एक बात और। कोयले की सप्लाई के बारे में दिल्ली के अन्दर बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है। कोयले की बहुत कमी है और जो कोयला दिल्ली के अन्दर 80 रुपए टन पर मिलना चाहिए स्लैक कोल वह 250 रुपए पर टन या उसके आसपास मिलता है। ढाई लाख रुपए एक रेक के ऊपर ब्लैक है। अगर किसी को एक रेक का परमिट मिल जाय तो वह उसे लाकर बिना कुछ किए जेब में डालकर उसको दे सकता है। दिल्ली को कम से कम 10 रेक मिलने चाहिएं, लेकिन नहीं मिलते, कोयला आता नहीं और रेल मिनिस्टर दो-तीन अनस्पौंर्स्ड रेक के परमिट दे दिया करते हैं। पहले दो-तीन दे दिया करते थे, अब शायद उतने न देते हों। जो अनस्पोंर्स्ड रेक दिए जाते हैं उनके बारे में प्रश्न उठा है कि वे क्यों दिए जाते हैं। राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन में मंत्री केन्द्र के एक मंत्री को यह अधिकार देने के खिलाफ थे कि वे अपने डिस्क्रीशन से रेक इस तरह दे दें ताकि वहां से कोयला लाकर बेचा जाय। जिसको चाहें वे दें इस अधिकार को देने के लोग खिलाफ थे। अभी जो अपने डिस्क्रीशन से वे रेक दे दिया करते हैं उसका परिणाम यह है कि कोयले का ब्लैक चलता है। उसके कारण ईंटों की भी बहुत कमी है और वह कमी इतनी है कि 110 और 115 रुपए हजार के करीब ईंटों की कीमत है। इससे जो लोग मकानों के बनाने और उसके साथ जो उद्योग लगे हुए हैं उनसे अपनी रोजी कमाते हैं, वे किस तरह से अपना गुजारा करते हैं यह हम सोच सकते हैं। ये समस्या मकानों के बनाने के उद्योग से सम्बन्धित है लेकिन उसका परिणाम बाकी सारी बातों पर कितना पड़ेगा यह सोचने के लिए बहुत बड़ी खोज की आवश्यकता नहीं है। महोदय, मैं अपनी बात लगभग खत्म कर रहा हूं।

एक आखिरी विषय, जिस पर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वह यह है कि दिल्ली के लोगों को यह अधिकतर वैसे ही है जैसे किसी भी राज्य के लोगों को है कि शिक्षा के बारे में उनकी बात सुनी जाय। उनकी सलाह से यदि कोई परिवर्तन होता है तो वह किया जाय। पिछले दिनों में दिल्ली विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जैसा आर्डिनेंस जारी किया गया उस तरह का आर्डिनेंस क्या दिल्ली प्रशासन की सलाह के साथ किया गया। दिल्ली युनिवर्सिटी के संशोधन के लिए जो विधेयक पिछले दिनों में पेश किया गया या यहां पेश होने वाला था और उसको फिर स्थगित किया गया, क्या उसमें दिल्ली के चुने हुये प्रतिनिधियों की राय ली गई। उस विधेयक के बारे में मुझे इस समय ज्यादा नहीं कहना है क्योंकि वह शायद पुनर्विचार के बाद लाया जायगा और तब सब को मौका होगा उसपर अपने-अपने विचार प्रगट करने का। परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली युनिवर्सिटी के बारे में परिवर्तन करना भी केन्द्रीय सरकार अपना कोई एक्सक्लूसिव प्रिविलेज समझ कर के चलती

है और उसके अन्दर दिल्ली के लोग, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो समुदाय है, उसके अध्यापक और दूसरे सम्बन्धित लोग हैं उनकी आवाज नहीं सुनने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। यह कोई विशेष स्थिति नहीं है।

इतना ही नहीं, पिछले दिनों में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अन्दर कुछ विद्यार्थियों ने बहुत उधम किया। वहां जो विद्यार्थी संघ है, जो स्टूडेंट्स परिषद है, जो छात्र संघ है उसकी एक सभा में कुछ विचार हो रहा था और वहीं पर जा कर के हुड़दंगा मचाया गया, नारे लगाये गये और मारपिटाई हुई। उस मार पिटाई के बाद वह सारे का सारा प्रश्न वाइस चांस्लर के पास ले जाया गया और वाइस चांस्लर से कहा गया कि अभी, इसी वक्त फैसला किया जाय, यूनियन को भंग किया जाय, यूनियन को सस्पेंड किया जाय। वाइस चांस्लर ने जब एकदम से उस तरह के हुक्म को मानने से इन्कार कर दिया तो उनका घेराव हुआ, उनको परेशान किया गया। उनको एक कमरे में बुला कर के उनको घंटों तक रोके रखा गया। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने, उन विद्यार्थियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाय, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी में बड़ेबड़े वरिष्ठ प्रोफेसर रखे गये। उस कमेटी में सारे कालेजों के अध्यापकों से राय मांगी गई और सबकी राय लेने के बाद उसने यह सिफारिश की कि कुछ लड़कों को एक्सपेल किया जाय और कुछ लड़कों को रेस्टीकेट किया जाय। लेकिन महोदय, समाचार पत्रों में यह छपा कि उस कमेटी की सिफारिशों के बाद प्रधान मंत्री की ओर से यूनिवर्सिटी पर दबाव पड़ा, चीफ़ एक्जिक्यूटिव कौंसिलर की तरफ से यूनिवर्सिटी पर दबाव पड़ा। प्रधान मंत्री का ऐसा कोई वक्तव्य नहीं आया है लेकिन इस तरह की खबर जरूर छपी है और मैं अपनी जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि वह खबर निराधार नहीं है, लेकिन श्री राधा रमण ने स्वयं कहा है कि हां ठीक है, हमने उन लड़कों के खिलाफ कार्यवाही करने से विश्वविद्यालय को रोका। क्या यह विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के साथ न्याय हो रहा है। क्या यह यूनिवर्सिटी की आटोनामी का समादर किया जा रहा है। क्या दिल्ली के अन्दर जो मनमानी करे उसको पूछने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार दिल्ली के अन्दर इस तरह का प्रयत्न किया जाता है कि यूनिवर्सिटी के अन्दर जो अनुशासनभंग करने वाले हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाय। केवल इसलिए क्योंकि उनमें से कुछ लोग प्रधान मंत्री जी के सत्तारूढ़ दल के समर्थक हैं। महोदय, यह रास्ता शिक्षा के सुधार का रास्ता नहीं है। यह रास्ता शिक्षा के विनाश का रास्ता है और इस रास्ते पर अगर सरकार चलेगी तो इससे न यूनिवर्सिटी का सुधार हो सकेगा और न ही छात्रों को उससे कोई दिशा दी जा सकेगी और न ही देश के लिए स्वस्थ परंपरायें स्थापित की जा सकेंगी। इसलिए महोदय, मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार इस सारे मामले पर पुनर्विचार करे और देखे कि दिल्ली के अंदर जो स्थिति आज बिगाड़ की पैदा हो रही है, जो दिल्ली के लोगों को यह लगता है कि बाकी सारे देश के लोग तो अपने प्रशासन का काम चला सकते हैं, लेकिन दिल्ली के लोग नाबालिग बच्चों जैसे समझे जाते हैं, बुद्धिहीन बच्चों जैसे समझे जाते हैं और उनको यह अधिकार देना केन्द्रीय सरकार गलत बात समझती है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। दिल्ली के एक इंजीनियरिंग कालेज में, दिल्ली कालेज आफ इंजीनियरिंग में इस समय हड़ताल चल रही है जो वहां के टेक्निकल कर्मचारियों की हड़ताल है। वह हड़ताल क्यों है, कैसे है, इन सारे विषयों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इस समय केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरा उसकी गवर्निंग बाडी से कुछ संबंध रहा है और जिस समय मेरा उस से संबंध था उस समय कालेज की गवर्निंग बाडी ने उन लोगों के वेतनों केसुधार के लिए कुछ प्रस्ताव बनाये

[डा० भाई महावीर]

और उन प्रस्तावों को एक एक्सपर्ट कमेटी ने देखा, उनकी सारी जांच की, छानबीन की और उनको ठीक बनाया । उसके बाद वह प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन को भेजे गये । दिल्ली प्रशासन को अगर राज्य का दर्जा मिल चुका होता तो वह उसको स्वीकार कर लेता और उन कर्मचारियों को आज अपने अधिकार मिल गये होते, लेकिन दिल्ली प्रशासन की तरफ से वह सारे जो प्रपोजल्स थे वह सब केन्द्रीय सरकार को भेजे जाने के बाद भी कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन उनके साथ कोई न्याय नहीं हुआ । महोदय, यह दिल्ली के लोगों के साथ पक्षपात है और इस पक्षपात के कारण पैदा होने वाला असंतोष और उस असंतोष के प्रतीक रूप आज वहां हड़ताल चल रही है, वहां स्ट्राइक चल रही है और यह प्रतीक है उस अन्याय का जो दिल्ली के साथ केन्द्रीय सरकार कर रही है । यह उस की ओर इशारा करता है इस सारी स्थिति को सुधारने के लिए दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाय यह जो एक हल है इस को सरकार माने, सरकार इससे अपना मुंह न छिपाये, इससे बचने की कोशिश न करें, इसको टालने की कोशिश न करें, यही मैं आग्रह करना चाहता हूं । अभी भी दिल्ली की कार्यकारी परिषद् में सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधि हैं । अब उनको यह डर नहीं होना चाहिए कि हम लोग वह इसलिए कह रहे हैं कि जनसंघ का वहां राज है, वह बना रहे । लेकिन राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, और आते रहेंगे, कभी एक दल आयेगा और कभी दूसरा, लेकिन उन परिवर्तनों के कारण, राजनीतिक हिताहित अपने दिमाग में रख कर आप कोई फैसला करें यह न केन्द्रीय सरकार की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है और न उनके लिए शोभा देता है । इसलिए मैं, महोदय, यह विधेयक इस सदन के सामने इस आशा के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं कि इसको राजनीतिक रंग में न देख कर हमारे माननीय सदस्य और मंत्री जी और केन्द्रीय सरकार इसके बारे में सहानुभूति पूर्वक विचार करें और दिल्ली के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप दिल्ली का ढांचा बनाया जाय इस दृष्टि से इसको स्वीकार करने के लिए और कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, इन्कार करने के लिए कोई बहाना नहीं, और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस को स्वीकार करने के लिए कोई रास्ता ढूंढेगी और उसके लिए कोशिश करेगी । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को माननीय सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं ।

*The question was proposed,*

**श्री रणवीर सिंह** (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष जी, डा० भाई महावीर जी का इस बात के लिए तो मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दिल्ली प्रशासन में तब्दीली लाने के लिए जो विधेयक प्रस्तुत किया है उससे हमें भी एक मौका मिला, और उन्होंने इस सदन को एक मौका दिया और इस देश को दिल्ली के इतिहास को जानने का और दिल्ली के इतिहास को सदन के सामने रखने का हमको अवसर मिला और दिल्ली के आस पास के जो भाई हैं वे दिल्ली के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी बातों को सदन में रखने का भी हम को मौका मिला है और उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूं । लेकिन उनके विधेयक का मैं समर्थन नहीं कर सकता हूं और उसका कारण भी वही है । उपसभापति जी, आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान की आजादी की सब से पहली लड़ाई 1857 में दिल्ली के आस पास ही शुरू हुई थी और उस समय की दिल्ली एक बहुत बड़ा प्रदेश था जिस में वेस्टर्न यू० पी०, हरियाणा और दिल्ली प्रदेश और कुछ राजस्थान का इलाका, यह सब मिल कर एक प्रदेश होता था और यहां अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ जब बड़ा जोर से आवाज उठी, हिंसा के साथ भी, और फौजों में यहां आस पास के रहने वाले भाई, चाहे वे हिन्दू थे या मुसलमान, या किसी भी जाति के थे, उन सब ने मिल कर फौजों के साथ मिलकर, अंग्रेजी राज के खिलाफ बगावत की और मेरठ से वह लड़ाई शुरू हुई और फिर सारे देश में फैली, उसके बाद जब अंग्रेजों का राज्य

दिल्ली पर कायम हुआ तो अंग्रेजों ने अपना राज्य कायम होते ही दिल्ली के आस पास के लोगों को सजा देने के लिए हिन्दुस्तान के राजनैतिक नक्शे को बदलने की कोशिश की। वह मेरठ जो कभी दिल्ली स्टेट का हिस्सा था उसको इलाहाबाद और लखनऊ के साथ जोड़ दिया गया। जिसको आज हरियाणा कहते हैं उसको बन्नू और कोहाट तक का जो इलाका था पंजाब का, उसके साथ जोड़ दिया गया, लाहौर के साथ हमको जोड़ दिया गया। उधर से कुछ रियासतें पैदा कर दी गईं, कुछ महाराजा पटियाला को इलाका दे दिया गया, कुछ महाराजा जींद को दिया गया और कुछ दूसरे महाराजाओं को दिया गया। उपसभापति जी, यही नहीं उसके बाद 1914 ई० तक दिल्ली जिला जो था उस जिले के अन्दर हरियाणा का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। वहां तक भी बात कायम नहीं रखी गई और बिल्कुल अलहदा कर के एक दिल्ली का प्रदेश बनाया गया।

उपसभाध्यक्ष जी, मुझको आज से 25 साल की बात याद है जब कि कांस्टीटुएंट असेम्बली के अन्दर इस बात के बारे में सोच-विचार हो रहा था कि आजाद हिन्दुस्तान का क्या नक्शा बनाया जाय तो उस वक्त मैंने भी एक सुझाव दिया था। आप जानते हैं कि जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ तो पंजाब भी बंटा था और बंगाल भी बंटा था, पंजाब के पास कोई कैपिटल, कोई दारूलखिलाफा नहीं थी, कोई राजधानी नहीं थी, उनको राजधानी बनाना था, उस वक्त मैंने यह सुझाव दिया था कि नई दिल्ली को छोड़ कर के पुरानी दिल्ली और पुरानी दिल्ली के जो देहात हैं उनको पंजाब के साथ मिला दिया जाय और दिल्ली को पंजाब की राजधानी बना दिया जाय। आज 25 साल के बाद कुछ नक्शा बदला है। अंग्रेजी-राज में जो इलाका पटियाला के अन्दर शामिल था, जींद रियासत के अन्दर शामिल था या किसी दूसरी रियासत के अन्दर शामिल था, उसमें से कुछ रियासतों का इलाका तो राजस्थान का हिस्सा बना और उनमें से बहुत सी रियासतों के और कुछ इलाके जो हैं वह इकट्ठा हुये, पहले पेप्सू बना, पटियाला और जो दूसरी आठ रियासतें थीं उनको मिला कर के एक सूबा बनाया गया, उसके बाद पंजाब और पेप्सू का इकट्ठा किया गया और 1966 के अन्दर पंजाब के दो हिस्से किये गये जिससे हरियाणा का जन्म हुआ। आज भी हरियाणा के पास कोई राजधानी नहीं है और पुरानी दिल्ली हरियाणा की एक बहुत अच्छी राजधानी बन सकती है और दिल्ली की जो समस्या डा० भाई महावीर ने रखी उन सारी समस्याओं का हल निकल सकता है और उसके बाद जो सजा हमें अंग्रेजों ने दी थी वह उलट सकती है। आज हम पच्चीस साला रजत जयन्ती मनाने जा रहे हैं, मंत्री महोदय इस रजत जयन्ती के अवसर पर हमारे ऊपर कृपा करें और अंग्रेजों ने हमको जो सजा दी थी उस सजा को उलट करने का फैसला करें। मैं मानता हूं कि इसमें समय लगेगा, उत्तर प्रदेश से भी बातचीत करनी होगी। वह बहुत बड़ा सूबा है। वह इतना बड़ा सूबा है कि उसको एक सूबा रखना कोई बहुत ज्यादा समझ की बात नहीं है। बहुत सारे वहां के भाई हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, वह हाथ हिला रहे हैं। मुझे याद है कि जब हम पंजाब के अन्दर इस बात की आवाज उठाते थे तो पंजाब के भाई भी हमारे खिलाफ हाथ हिलाया करते थे। उपसभापति जी, मुझे याद है कि आज कांग्रेस (ओ) के नेता महावीर त्यागी जी जो बैठे हैं वह महावीर त्यागी जी कभी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सदस्य होते थे और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के ओहदेदार भी होते थे। कोई 1927 या 1928 ई० का जिक्र है जिस वक्त कि आसफअली जी ने एक आवाज उठाई थी। श्री देशबन्धु गुप्ता, आसफअली जी और महावीर त्यागी जी जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के नेता हैं उन सब ने मिल कर के और हरियाणा

[श्री रणवीर सिंह]

के नेताओं ने एक आवाज उठाई थी और उस वक्त कहा था कि दिल्ली एक अलहदा प्रदेश बनना चाहिये और मुझे आज मौका मिला है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हम शुक्रिया अदा करें कि उनका हमें इसके लिये आशीर्वाद मिला, जिस वक्त हिन्दुस्तान के अन्दर कोई और सूबे की बात नहीं थी, जब पहली राउंड टेबिल कान्फरेंस हो रही थी उस वक्त एक समस्या आई थी, एक सुझाव आया था कि दिल्ली का नया प्रदेश बने लेकिन आप जानते हैं कि जिन भाइयों से हम अलहदा हुये हैं वह बहुत होशियार थे, बहुत ज्यादा पढ़-लिखे थे, तो कोई धर्म के नाम पर, कोई सिखों के नाम पर, कोई हिन्दुओं के नाम पर हमको अलहदा नहीं होने दिया गया और उस वक्त हम मान गये यह समझ कर कि हम पंजाब के अन्दर ही रहें तो इससे हो शायद वह सूबा सेक्युलर बना रहेगा तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा। और हमारे साथ तो न्याय हो गया लेकिन दिल्ली प्रदेश के लोगों के साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ। उपसभाध्यक्ष जी, हम देखते हैं आज कितने लोग मकान बना रहे हैं जहां पहले चारों तरफ देहात थे। आज से 25 साल पहले -- महावीर त्यागी जी शहादत देंगे—जिस वक्त वे उधर देहरादून की तरफ से जाते थे या इधर से आते थे, देखते थे कितनी अच्छी खेती होती थी। आज वहां पर बड़े विशाल भवन हैं और वे भाई जो कभी मालिक होते थे उनका पता नहीं कहां दर-दर मारे फिरते हैं। किसी को जमीन के बदले जमीन नहीं मिली। यहां बड़ा शोर है, अगर पेशा छीना जाए तो पेशे के बदले पेशा मिले। उनका पेशा छीना गया, उनका कारोबार छीना गया। यह तब हुआ जब देश आजाद हुआ।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि इस दिल्ली के अंदर बहुतों ने राज किए लेकिन पुरानी दिल्ली के रहने वालों और दिल्ली के आसपास रहने वालों की सभ्यता को कोई बदल नहीं सका। चाहे कितना ही कोई शक्तिशाली राजा आया, उनके रहन-सहन में तब्दीली नहीं कर सका। वह एक तरह से अपना स्वराज्य अलग बनाए हुए, अपने ढंग से चलते आया। जब से हम आजाद हुए हैं, उन भाइयों को जिनको हम उजाड़ते हैं, जिनके खातिर दिल्ली को तरक्की होना लाजिमी है, जिनके देश के यह राजधानी है, उनके लिए भी हमें कुछ करना है। जो भाई और जहां से यहां आएंगे, उनके लिए मकान भी बनाना जरूरी है, जमीन लेना भी जरूरी है। इसको अगर एक बड़ा प्रदेश बना दिया जाए और महावीर त्यागी जी के पहाड़ तक हमको पहुंचा दिया जाए तो जिन भाइयों को यहां से उठाने की आवश्यकता हो उनको तराई में बिठाया जा सकता है...

**श्री महावीर त्यागी** (उत्तर प्रदेश) : हम कहते हैं दिल्ली प्रदेश बना दिया जाए हरियाणा और यू० पी० का हिस्सा मिला कर।

**श्री रणवीर सिंह** : महोदय, हमें इस बात पर भी कोई विशेष आपत्ति नहीं है कि उस प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रख दिया जाए, लेकिन एक प्रदेश बन जाए, चाहे दिल्ली नाम रख दिया जाए, हरियाणा रखा जाए या उत्तर प्रदेश। महावीर त्यागी जी को याद है मैं और ये कांस्टिट्यूएन्ट असेम्बली में इकट्ठा बैठा करते थे...

**श्री महावीर त्यागी** : नहीं, दिल्ली नाम नहीं हो। दिल्ली जनाना शब्द है।

**श्री रणवीर सिंह** : महावीर त्यागी जी और मैं ही बेन्च के ऊपर बैठा करते थे और जिस रोज उत्तर प्रदेश का नामकरण संस्कार हुआ उस समय बहुत जोर से उन्होंने कहा— वे इशारा कर रहे हैं इसलिए मैं नहीं बताऊंगा -- तो मैंने लाबी में बताया था कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश क्यों रखा गया तो उन्होंने कुछ बात कही। तो अगर हम वैसा ही रखना चाहते हैं, तो हमें कोई ऐतराज

नहीं, किसी भी नाम से मिले। उपसभाध्यक्ष जी, इस इलाके के साथ न्याय तभी होगा। यह बात सही है कि दिल्ली हिन्दुस्तान का दिल है। मुझे याद है, जब बहुत बड़े-बड़े नेता लोग कहा करते थे कि दिल्ली के अंदर अगर कोई थोड़ा सा भी झगड़ा होता है तो सारी दुनिया में उसका असर खराब होता है। अगर दूर कहीं लड़ाई हो तो उसका पता नहीं चलता। यह ठीक है कि आज दिल्ली की अहमियत बड़ी है और इसमें हमें खुशी है लेकिन दिल्ली की अहमियत होते हुए दिल्ली का इंतजाम ठीक न हो उसमें हमें दुख है।

अभी डा० भाई महावीर ने पानी की समस्या का जिक्र किया। दिल्ली की पानी की समस्या तब तक हल नहीं हो सकती जब तक कि महावीर त्यागीजी साथ न दें। मुझे याद है, जब मैं पंजाब में बिजली पानी का मंत्री था तो उस वक्त किसाऊ डैम बनाने की आवाज बहुत जोर से हमने उठाई थी और उस समय महावीर त्यागी कहते थे उनका हल्का है किसाऊ डैम के साथ, उनके लोक सभा के हल्के में पड़ता था। वह उस समय लोग कहा करते थे तुम्हारी नीयत खराब है, हम लोगों को डुबोना चाहते हो। डुबोने की बात नहीं थी...

**श्री महावीर त्यागी :** यह आप गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। मैंने आपसे यह कहा था, जिस डैम को आप बना रहे हैं अगर उसकी वजह से मेरी कांस्टीट्यूएन्सी की 20 स्क्वायर मील आबादी पानी में डूबेगी तो उसका क्या असर होगा।

**श्री रणवीर सिंह :** मैंने यही बात अपने शब्दों में कही। मैं माफी चाहता हूं अगर त्यागी जी ने महसूस किया। मेरा कहने का मतलब यह था कि त्यागी जी ने उस वक्त मेरी बात को कहा था। होना भी चाहिए अगर कोई भी सदस्य जो जिस इलाके से चुन कर आता है वह अपने मतदाताओं की फिक्र न करे, जिनका घर उजड़ता हो उनके बारे में फिक्र करना लाजमी है लेकिन दिल्ली की पानी की, बिजली की व्यवस्था तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक कि किसाऊ डैम बनाया नहीं जाता, जो जमुना की ट्रिब्युटेरी टौंस के ऊपर बनना है। मुझे याद है आज से 8 साल पहले...

**संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम् मेहता):** आप किस साहू जैन का जिक्र कर रहे हैं ?

**श्री रणवीर सिंह :** यहां पर साहू जैन का जिक्र नहीं है। 1963 की बात है जब डा० राव की सदारत में पंजाब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली प्रदेश के ले० गवर्नर और राजस्थान सरकार के नुमायन्दों की एक मीटिंग हुई थी। उस समय यह फैसला हुआ था कि एक साल के अन्दर इस स्कीम की जांच कर ली जायेगी। मैंने उस वक्त पंजाब सरकार की तरफ से कहा कि भाखड़ा डैम का सामान हमारे पास है, हमारे पास नो हाऊ है और हमारे जिम्मे यह काम छोड़ दीजिये और हम इसे छः महीने में पूरा कर देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने विश्वास दिलाया था कि इस स्कीम की पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक साल के अन्दर आ जायेगी। डा० राव कहा करते थे कि किसाऊ डैम भाखड़ा डैम से ऊंचा होगा और वह पांच साल के अन्दर बन जायेगा। आज लगभग नौ साल हो गये हैं मगर वहां पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। जो चीज हरियाणा के हित में है वह चीज दिल्ली के हित में भी है क्योंकि ये दोनो पड़ौसी राज्य हैं।

इसके अलावा आप जानते है कि हमारा प्रदेश एक बहुत छोटा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश हम से आठ गुना ज्यादा बड़ा प्रदेश है। लेकिन आज सरकारी लेट हरियाणा में ज्यादा चलती है, उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा होंगी, कम नहीं होंगी। हमारे पास तजुर्बा है

[श्री रणबीर सिंह]

इसलिए दिल्ली को हरियाणा प्रदेश के साथ मिला दिया जाय। यहां पर बसों की जो कमी है वह भी दूर हो जायेगी।

इसके अलावा आप जानते हैं कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास को जो भैंसे और गाय जाती हैं वे हरियाणा के रोहतक और जिंद जिलों से जाती हैं। दिल्ली तो बहुत नजदीक है और दिल्ली को जो दूध की समस्या है उसको हल करना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। यहां पर भाई महावीर भी फिर यह हौसला नहीं कर सकेंगे कि वे यहां पर बोतल में चूहे को लाकर खड़ा कर दें।

**डा० भाई महावीर** : आप तो दूध में भैंसा डालेंगे।

**श्री रणबीर सिंह** : इसलिए जहां तक दूध की समस्या का ताल्लुक है, अनाज की समस्या का ताल्लुक है, पानी की समस्या का ताल्लुक है, बिजली की समस्या का ताल्लुक है, बसों की समस्या का ताल्लुक है और दूसरी आराम की समस्याओं का ताल्लुक है, वे सब दिल्ली को हरियाणा के साथ मिलाने पर ठीक हो जायेंगी।

मैं यह भी मानता हूं कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी हरियाणा के पास होगी तो फिर कोई भी किसी तरह का बावेला या गड़बड़ नहीं कर सकेगा। अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उसको जल्दी ठीक कर दिया जायेगा। इस तरह का जो नया प्रदेश बनेगा उससे देश को कोई खतरा नहीं होगा।, हिन्दुस्तान की जहां तक रक्षा का सवाल है चाहे यह प्रान्त छोटा बने या बड़ा बने हिन्दुस्तान की जो फौज है, उसके अन्दर सबसे ज्यादा सिपाही और आफिसर इसी इलाके से आते हैं और इस देश की रक्षा करते हैं। वह जो नया प्रदेश बनेगा वह आज तक जिस तरह से हिन्दुस्तान की रक्षा करते आया है देश का नाम लड़ाई के मैदान में ऊंचा करते आया है, उसी तरह से अमन के समय में भी वह देश का नाम ऊंचा करता रहेगा। और जिस तरह की खराबियां आज दिल्ली के अन्दर होती हैं और दूसरे देशों में हमारे देश का जो नाम ऊंचा नहीं होता है वह समस्या नहीं आएगी। तो मैं आपकी मार्फत अपनी सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारे साथ जो अन्याय हिन्दुस्तान की पहली आजादी की लड़ाई छेड़ने की वजह से हुआ, देश को आजाद कराने की खातिर जो अंग्रेजों ने हमको सजा दी वह रजत-जयन्ती के वक्त में सरकार बदले, हिन्दुस्तान की सरकार उस फैसले का एलान करे, साल के बजाय दो-तीन साल में हो जैसे कि अभी हुआ हमारे लिए फैसला हुआ, फाजिल्का और अबोहर जो हैं वे हरियाणा के साथ मिलेंगे, भले ही वे दो साल के बाद मिलेंगे, उससे हमें शांति होगी और इस प्रदेश के लोगों को शांति होगी और प्रदेश के लोग शान से आगे बढ़ेंगे और डा० महावीर जैसे दोस्तों की शक्ति भी हमको खराब नहीं कर सकेगी।

**श्री ओम् मेहता** : और असेम्बली भी मिल जायगी।

**श्री नवल किशोर** (उत्तर प्रदेश) : उप सभाध्यक्ष जी, मैंने जो यह दिल्ली प्रशासन संशोधन विधेयक डा० भाई महावीर ने पेश किया इसको पढ़ा, उनका भाषण भी सुना और चौधरी रणवीर सिंह का भाषण भी सुना। दोनों भाषणों को सुनने के बाद मैं बड़े असमंजस में हूं कि इस विधेयक का समर्थन करूं या विरोध करूं।

**डा० जैड० ए० अहमद** (उत्तर प्रदेश) : यह आप हर सवाल पर कहते हैं।

**श्री नवल किशोर** : डा० साहब की मेरी सोहबत बहुत दिनों से है। जो हालत उनकी है उसका कुछ असर मेरे ऊपर पड़ना लाजमी है।

**डा० जैड० ए० अहमद** : हमारी हालत तो बिलकुल साफ है।

**श्री नवल किशोर** : इनकी हालत बड़ी खराब है। यह न हिमों में हैं न शिमों में।

तो मैं कह रहा था कि डा० महावीर ने जो विधेयक पेश किया है उसमें कहीं दिल्ली के स्टेटहुड की बात नहीं है। उनके भाषण का सम्बन्ध इस विधेयक से कम था। वे यह प्रस्ताव करते कि दिल्ली को स्टेटहुड दे दिया जाय तो उनका भाषण उसके ज्यादा नजदीक होता।

चौधरी रणबीर सिंह ने कहा, मैं उनकी बात का समर्थन नहीं करता, उनकी नीयत और ज्यादा खराब है, उन्होंने यह फरमाया कि 1857 में जो दिल्ली प्रदेश था और जिसके यहां को 1857 को भारतीय क्रान्ति के बाद अंग्रेजों ने टुकड़े किए, कुछ पेप्सू को दे दिया, कुछ पटियाला को दे दिया, कुछ पंजाब को दे दिया, कुछ यू० पी० को दे दिया, इस तरह की बातें उन्होंने कहीं और लुबलुबाब यह था कि हरियाणा को केपीटल दिल्ली को बना दिया जाय। साथ ही उन्होंने छेड़खानी में, मसखरी में, जैसी उनकी आदत है, यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा हमको दे दिया जाय। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आपसे मुहब्बत तो बहुत है लेकिन आप अपनी बदनिगाह उत्तर प्रदेश पर मत डालो, हम कोई चीज आपको देने वाले नहीं। उन्होंने एक बात और कही कि पंजाबी भी यह कहते थे, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि पंजाब और है और यू० पी० और है, आप कृपा करके जहां हो वहीं रहो। उन्होंने यह कहा कि दिल्ली केपिटल हो जाय। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर फिर भी नाम तो उसका दिल्ली प्रदेश होगा, हरियाणा तो समाप्त हो जायेगा, हरियाणा नहीं रहने वाला है।

**श्री महावीर त्यागी** : इसकी कोई परवाह नहीं।

**श्री नवल किशोर** : तो, श्रीमन्, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि सरकार स्टेटहुड दे, न दे, मैं समझता हूं कि इसकी कोई बहुत बड़ी मांग डा० महावीर की भी नहीं है, उन्होंने एक बात कह दी कि स्टेटहुड दे दिया जाय। हां, जो सिलसिला चला है मनीपुर का, मेघालय का, नागालैंड का, अरुणाचल का उसको देखते हुए अगर दिल्ली को भी स्टेटहुड दे दिया जाय तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दिल्ली के स्टेट-हुड की कल्पना मूवर का भिन्न है, डिफरेन्ट है उस स्टेट से जिसकी कल्पना मेरे भाई रणबीर सिंह कर रहे हैं। इससे पहले भी---दीक्षित जी बैठे हुए हैं—दिल्ली में असेम्बली थी और दिल्ली में भी पोपुलर गवर्नमेंट बनी थी, मगर उसके बाद वह असेम्बली तोड़ दी गई और उसकी जगह मेट्रोपोलिटन कौंसिल बनाई गई।

**श्री भूपेंद्र नारायण मंडल** (बिहार) : क्यों ?

**श्री नवल किशोर** : क्यों की बात यह है कि जो कदम सरकार उठाती है उसके पीछे कुछ राजनीति होती है और कुछ और कारण होते हैं। बहरहाल, मैं उसमें जाना नहीं चाहता।

**श्री महावीर त्यागी** : यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का हैडक्वार्टर है।

**श्री नवल किशोर** : सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हैडक्वार्टर की बात नहीं है। डा० महावीर ने एग्जाम्पिल दो टोकियो की, बर्लिन की और लन्दन की। सेन्टर की सीट होने के बाद वह स्टेट कैपीटल नहीं बन सकती, ऐसी बात नहीं है, बन सकती है। लेकिन बहरहाल जो भी कारण हो, मैं जो बात कहना चाहता हूं वह यह है कि दो, तीन, चार बातों पर आब्जेक्शंस किये, डा० भाई महावीर ने, उनका जवाब मंत्री महोदय देंगे, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उनका जो भाषण था उसमें मांगों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार की कुछ आलोचना थी, दिल्ली प्रशासन की कुछ आलोचना थी। एक उनकी शिकायत यह थी कि नोमिनेटेड मेम्बर्स न हों। उन्होंने यह हवाला दिया कि जब यह बिल आया था तो इस बात का आश्वासन दिया गया था कि जिनके प्रतिनिधि

[श्री नवल किशोर]

वहां नहीं होंगे उनको ही नामिनेट किया जाएगा। उनको यह शिकायत है कि वह बात नहीं हुई। श्रीमन्, मैं खुद भी नामिनेशंस के बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं हूं। मेरा अपना अनुभव यह है कि जहां भी नामिनेशंस होते हैं, नीयत कुछ भी रही हो कोई विधान बनाते वक्त या किसी ऐक्ट या बिल को बनाते वक्त मगर जब कार्यान्वयन उसका होता है तो नामिनेशंस का हमेशा मिसयूज होता है। जो पार्टी इन पावर होती है, चाहे कोई भी हो, वह उन नामिनेशंस को अपने पक्ष में इस्तेमाल करती है। इसी लिए डेमोक्रेसी में जितना मुमकिन हो सके, नामिनेशंस को कम किया जाय। एक बात।

दूसरी बात जो डा० भाई महावीर ने कही और जिसकी मैं ताईद करता हूं वह यह है कि जब लोकल बाडीज एक ट्रांस्फर्ड सब्जेक्ट है तो नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के अन्दर जो नामिनेशंस हैं, वे सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों करे। जैसे और बाडीज का होता है उसी तरह से जो मेट्रोपोलिटिन कौंसिल के चुने हुये नुमाइन्दे हैं, जो उसके एक्जिक्युटिव कौंसिलर्स हैं, उनको यह अधिकार मिलना चाहिये।

डा० भाई महावीर ने कहा कि हमने बहुत सी बातों की सिफारिश की, मगर केन्द्रीय सरकार ने उनको माना नहीं। मैं उन मांगों में जाना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि हमने यह सिफारिश की कि हायर एजुकेशन फ्री हो जाय, सेल्स टक्स सिंगल प्वाइंट हो जाय, जो झुग्गी वाले हैं उनको छोटे-छोटे क्वार्टर्स दिये जायं, अनएम्पलाइड लोगों के लिए व्यवस्था की जाय और इसी प्रकार की दूसरी बातें की जायं। इस सम्बन्ध में उन्होंने समाजवाद की भी बात की। जब डा० भाई महावीर समाजवाद की बात करें तो उसकी और भी ताईद होनी चाहिये। लेकिन उसमें एक दिक्कत है। उन्होंने एक बात यह बताई कि देहली से 110 करोड़ की आमदनी है और गवर्नमेंट मेट्रोपोलिटन कौंसिल को 95 करोड़ रुपया देती है। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि अगर केन्द्रीय सरकार इन सब बातों को मान लेती जो कौंसिल चाहती थी तो उसके फाइनेंशियल इम्पिलीकेशंस क्या होते।

**डा० भाई महावीर :** एक मिनट में मैं बता दूं। यहां की कार्यकारी परिषद् ने जो ये सुझाव दिये तो इनको रेवेन्यू में सुधार कर के और इकोनामी करके करने के लिए कहा।

**श्री नवल किशोर :** आपका धन्यवाद। श्रीमन्, अगर यह बात है तो मैं समझता हूं कि कोई कारण नहीं था उन सुझावों को न मानने का। जो पैसा उनको दिया गया है, अगर उसी पैसे में इन प्रोग्रामों को चलाने का सुझाव दिया था, तो मैं समझता हूं कि इन आल फैयरनैस यह न्यायसंगत होता कि उनके इन प्रस्तावों को स्वीकार किया जाता।

जहां तक भाई महावीर जी ने कहा कि दिल्ली एक बायबिल युनिट है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली का जो प्रशासन है उस पर केन्द्र का जो केन्द्रीयकरण है उसकी वजह से दिल्ली की जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसमें भी दिल्ली के लोगों का कोई हाथ नहीं है। मैं उन की बात को मान लेता यदि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय की एक्जाम्पल न दी होती, क्योंकि मैं जानता हूं कि यू० पी० में बनारस और अलीगढ़ यूनिवर्सिटीज, यह श्रीमन्, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है और उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जब कोई तरमीम की जाती है तो उत्तर प्रदेश की असेम्बली को या उत्तर प्रदेश के लोगों को उसमें कुछ कहने का मौका नहीं होता। तो अगर डा० भाई महावीर का यह आइडिया है कि...

4 P.M.

**डा० भाई महावीर :** उत्तर प्रदेश की सरकार की राय भी नहीं ली जाती ?

**श्री नवल किशोर :** जी नहीं। तो अगर उन का यह आइडिया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टेटहुड होने के बाद स्टेट यूनिवर्सिटी बन जाय तब तो उनकी बात में तत्व है, लेकिन अगर

वह केन्द्रीय विश्वविद्यालय है तो दिल्ली अगर एक स्टेट बन भी जाय तो भी उसका कोई हक दिल्ली विश्वविद्यालय में या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हस्तक्षेप करने का नहीं होगा। तो एक यह बात मुझ को कंफ्यूजन की मालूम पड़ी, क्योंकि जैसे हमारी स्टेट है और उसमें पांच, छः यूनिवर्सिटीज हैं। उन पर पूरा कंट्रोल स्टेट का है, वह उनके कानून में अमेंडमेंट कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, मगर केन्द्र की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें हमारा कोई हाथ नहीं है। इतना जरूर था कि अभी तक एक गवर्नर का नामिनी एक्जीक्यूटिव में होता था, नुरुल हसन साहब ने अब को उस का भी सफाया कर दिया। तो एक आदमी जो स्टेट की तरफ से कुछ कह भी सकता था वह भी अब वहां नहीं है। तो जहां तक केन्द्रीय यूनिवर्सिटीज का ताल्लुक है, उस में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है।

श्रीमन्, उन्होंने कुछ बातों की चर्चा की, एक्साइज को, कोल की, सप्लाई की, ईंटों की और इंजीनियरिंग कालेज की स्ट्राइक वगैरह की। मुझे पता नहीं कि इंजीनियरिंग कालेज किसका है। दिल्ली प्रशासन का है, अगर वह तो बात अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता, क्योंकि डा० भाई महावीर ने कई बातों की तरफ बहुत अच्छे ढंग से प्रकाश डाला है और उन में जो वाक्यात हैं, मैं समझता हूं कि वह ऐसे होंगे, शायद उनमें कोई बढ़ाने चढ़ाने की बात नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी बात कहे तो उसमें कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण तो होगा ही लेकिन उन्होंने जो कहा है कि दिल्ली के लोगों की कठिनाइयां हैं, जो शिकायतें हैं सरकार उनको देखे और मंत्री जी अपने बयान में मैं आशा करता हूं कि उनका जवाब देंगे लेकिन उनकी दो, तीन बातों से मैं पूर्णतया इत्तेफाक करता हूं। स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स में उन्होंने कहा है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल जो होगी वह मैट्रोपोलिटन कौंसिल के प्रति रेस्पांसिबिल होगी। मैं समझता हूं कि यह बात ठीक है। अगर आप दिल्ली को स्टेटहुड न भी दें तो भी ऐसा करने से सरकार मैट्रोपोलिटन कौंसिल को ज्यादा डेमोक्रेटिक, ज्यादा प्रजातांत्रिक बना सकती है और यह आप को बनाना चाहिए और जो एक्जीक्यूटिव कौंसिल है उसको आप केबिनेट का नाम न भी दें, लेकिन उसके फंक्शन और उसकी वर्किंग केबिनेट की तरह हो सकती है और सरकार इसकी तरफ अपना ध्यान दे और मैं यह बात जरूर चाहता हूं कि मैट्रोपोलिटन कौंसिल जो है, उसके अंदर जो ट्रांस्फर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं, जो आपने स्टेट्स को दे रखी हैं और यहां उनको नहीं दिये ह उनको भी आहिस्ता-आहिस्ता आप बढाते चले जायं। यह बात कि जनसंघ पार्टी एक समय पावर में थी या आज नहीं है, उस बहस में मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि डा० भाई महावीर ने खुद ही कहा कि शुरू में जब कांग्रेस चाहती थी कि दिल्ली स्टेट बने तो जनसंघ नहीं चाहता था और अब जब कि जनसंघ चाहता है तो कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती। तो यह स्पष्ट है कि दोनों ने अपने स्टैंड को बदला और दोनों ने खामखाह बदला हो ऐसी बात नहीं है। डा० भाई महावीर ने कहा कि हमने सोच समझ कर अपना स्टैंड बदला और कांग्रेस ने उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से बदला। राजनीति दोनों के दिमाग में है, दोनों के दोनों पालिटीशियन हैं। तो दोनों पार्टियों ने जो अपना स्टैंड बदला है उसके पीछे पालिटिक्स जरूर है इसमें कोई शक नहीं। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि डा० भाई महावीर भी बहुत सीरियस नहीं कि दिल्ली को स्टेटहुड दी जाय। अगर उनका यह बिल पास भी हो जाय तो भी दिल्ली स्टेट बनती नहीं और उन्होंने खुद भी कहा कि इसको उन्होंने 1968 में पेश किया था और चार साल के बाद वह इसको ला रहे हैं कि दिल्ली स्टेट बन जाय। तो मैं ज्यादा समय न ले कर कहना चाहता हूं कि जो कमियां उन्होंने प्रशासन में बतायी हैं, उन पर गंभीरतापूर्वक विचार हो।

[श्री नवल किशोर]

अगर वह बात उनकी सही है और जहां उनकी बातें गलत हों वहा उसका मंत्री महोदय खंडन कर दें। और मैट्रोपालिटन कौंसिल जो है उसको किस तरह से भी ज्यादा से ज्यादा आप डेमोक्रेटिक बना सकते हो, जनतांत्रिक बना सकते हो, उसकी कोशिश की जानी चाहिये। मैं इस हद तक इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*The question was proposed.*

SHRI H. S. NARAS1AH (Mysore) : Sir, as a citizen of India, I feel constrained to oppose this Bill for the simple reason that under the guise of an amendment it seeks to establish a virtually autonomous State for itself. The Statement of Objects and Reasons given makes it clear that the Metropolitan Council is sought to be empowered with legislative powers. The object that the powers and privileges granted to legislative bodies of other Union Territories should also not be denied to the Council, makes it clear that the object of the mover is to establish what is characterized as a city State in ancient concept, not suited to the political requirements of any modern democracy. Sir, this ambition of establishing a State and acquiring autonomous powers is rather highly objectionable in the present constitutional set-up of our country. When there is a growing volume of opinion arising in India even to some extent regretting the creation of linguistic States, this idea of creating a city state is most tribal in outlook. And to say, Sir, that this area has some individuality of its own to warrant the creation of a State on the basis of any viability—economic, geographical, linguistic or whatever may be the test—is most unwarranted as I can see from the complexion and the character of this important city of India. There is nothing regional about it as the Notes on Clauses by the mover want to characterize it. This city is what it is, reflecting as it does the entire India— its culture, its languages and its various aspects. There is nothing individual about Delhi which would warrant the creation of an individualistic State by itself.

About the regional language which is: mentioned as Hindi, here again I want to point out, Sir, that this city is highly multi-lingual in character; it is bound to be multi-lingual in every day of its existence, its needs and requirements. And to say that the language, of the Administration should be Hindi is also a matter to be seriously considered.

Sir, all these aspects of the Bill make it clear that this amendment is not so innocuous as it appears to be but has. got a deep-minded attitude of a growing separatist state which, on all grounds of reason and politics, I feel I must oppose fully.

Sir, I oppose this Bill accordingly.

श्री ओइम् प्रकाश त्यागी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कर रहा है। हमें बहुत ही गंभीरतापूर्वक जनहित के दृष्टिकोण से इस पर विचार करना चाहिए। यह विधेयक किस पार्टी की ओर से आया है, कौन पेश कर रहा है, कौन उपस्थित कर रहा है, इस बात पर मैं समझता हूं हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे सामने देश का हित सर्वोपरि होना चाहिए। पार्टियां हमारे इस देश का हित करने के लिए साधन है, परन्तु दुर्भाग्य इस बात का है कि वर्तमान समय में लोग पार्टियों के लिए देश हित को कुर्बान कर रहे हैं— पार्टी का हित होना चाहिए, हमारी पार्टी रहे, देश रहे या न रहे, जनता का हित हो या न हो। यह स्थिति आज आकर बनी है। यहां भी सदन में पूछते हैं: किसकी ओर से प्रस्ताव आया है, कौन बोल रहा

है। कोई सुझाव अच्छा आ रहा है तो भी उसको स्वीकार करने की चेष्ठा नहीं की जाती है। यह विधेयक डा० भाई० महावीर ने उपस्थित किया है, चूंकि वह जन संघ के सदस्य हैं, इसी भावना से इसका विरोध हो—यह मैं नहीं मानता। देहली की जनता का हित किस बात में है, यह हमारे सामने प्रमुख बात होनी चाहिए और मैं समझता हूं, जनता का हित किस बात में है, इसको सोचने की जरूरत है। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि तानाशाही के द्वारा या डिक्टेटरशिप के द्वारा जनता का हित होने को नहीं है। यूं तो जहां पर डिक्टेटरशिप है वहां भी अच्छा शासन हो सकता है परन्तु वह अस्थायी शासन अच्छा हो सकता है, क्षणिक रूप में अच्छा हो सकता है लेकिन जन-हित में यह आवश्यक है कि लोकतंत्र पर आधारित जो प्रशासन होगा वह जनता के लिए अधिक हितकर होगा क्योंकि जनता की आवाज, जनता की सहमति, उसके साथ जुड़ी होती है और यही एक आधार है प्रगतिकों। आज हम समाजवादी नारा लगाते हुए भी, रूस और चाइना की लाइन पर खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। हमारा नारा है कि हम प्रजातंत्र के आधार पर समाजवाद को लाएंगे। यह बहुत बड़ा अंतर हमारे सन्मुख है। यही अंतर यहां है कि क्या हम देहली की जनता का हित तानाशाही के द्वारा करना चाहते हैं, ऊपर से लादना चाहते हैं, या हम देहली की जनता की आवाज को सुनते हुए एक प्रजातांत्रिक तरीके से दिल्ली के प्रशासन को खड़ा करना चाहते हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, देहली का दुर्भाग्य इस बात का है कि राजनैतिक स्वार्थ के कारण देहली राज्य एक फुटबाल के गेंद के तरीके से उछलता रहा है, इधर से उधर, और उसकी एक दयनीय अवस्था है—कहीं केन्द्रीय प्रशासन अलग है, नई दिल्ली का अलग प्रशासन है, मेट्रोपोलिटिन कौंसिल का अलग प्रशासन चल रहा है। यह व्यवस्था देहली की जनता के लिए हितकर बनी है या नहीं, इसे मैं उपस्थित करता हूं और वह इस प्रकार है कि पीछे जनसंघ का प्रशासन रहा है और जनसंघ के प्रशासन ने बहुत से प्रस्ताव पास करके हमारी केन्द्रीय सरकार के पास उपस्थित किए। चुनाव में क्या परिणाम होते हैं क्या नहीं, इससे आज हम किसी भी प्रशासन की अच्छाई बुराई को आंक नहीं सकते परन्तु यह सर्वमान्य बात है, यह सच्चाई है, कि दिल्ली प्रशासन ने, मेट्रोपोलिटिन कौंसिल ने, महानगर परिषद ने दिल्ली में जो कार्य किया वह बहुतही प्रशंसनीय रहा और इसी दृष्टि से लगभग 100 से ऊपर उन्होंने विधेयक पास करके केन्द्रीय सरकार के पास भेजे कि उन विधेयकों पर विचार कीजिए, वे जनता के हित में हैं कि नहीं। परन्तु उन विधेयकों पर कोई विचार नहीं हुआ और उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। दिल्ली प्रशासन की ओर से योजनाएं आती थीं कि इतना रेवेन्यू हम कलेक्ट करें, इस प्रकार योजनाएं बनें, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने उन सब को ठुकरा दिया, उलटे उनमें अड़चने आती रहीं। मैं कह सकता हूं—मुझे क्षमा करेंगे—कि केन्द्र के इशारे पर यहां की, देहली की, कांग्रेस पार्टी भी वह आचरण करती रही जो कि उनकी अपनी भावनाओं और प्रस्तावों के सर्वथा विपरीत रही। उसके अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं और इस समय उसके कहने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु अभी जिस तरह से भाई महावीरजी ने अनेक उदाहरण दिये उसी तरह से यहां पर अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। भाई महावीरजी ने कहा था कि दिल्ली के सम्बन्ध में अनेकों सुझाव आये थे, परन्तु केन्द्रीय सरकार ने उनको स्वीकार नहीं किया। मैं समझता हूं कि दिल्ली प्रशासन और दिल्ली की समस्या दिन प्रति दिन बिगड़ती ही चली जा रही है और स्वयं केन्द्रीय सरकार के लिए दिल्ली प्रशासन एक सरदर्द बन गया है। यह सरदर्द तब तक बना रहेगा जबतक आप दिल्ली प्रशासन का

[श्री आइम प्रकाश त्यागी]

प्रजातांत्रिक आधार पर ढांचा नहीं बनाते हैं। केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि दिल्ली प्रशासन की जो बला है वह दिल्ली की जनता के ऊपर डाले। दिल्ली में इतना रेवेन्यू आता है कि वह अपना शासन अपने साधनों से चला सकता है और नये साधनों को खोज भी कर सकता है।

जहां तक सवाल देश की राजधानी का है, जिस तरह से लन्दन और टोकियो के नगरों का प्रशासन वहां की सरकार चला रही है, उसी तरह से आप भी चलाइये और इसमें आपको किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मेरी समझ में तो आपको इस बारे में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये, लेकिन जैसा अभी भाई महावीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से यह आवाज लगाई गई थी कि यहां पर प्रांतीय सरकार बने, प्रान्त बने और असेम्बली बने तथा यहां के लोगों को यहां का प्रशासन दिया जाय जिससे वे अपने भाग्य का निर्णय कर सकें। लेकिन जब दिल्ली प्रशासन में जनसंघ आया, दिल्ली में जनसंघ का प्रभाव बढ़ा, तो फिर कांग्रेस पार्टी ने इस मांग को बदल दिया। जब उसने यह देखा कि जनसंघ भी यही मांग कर रहा है, उसको हां में हां कह रहा है, तो जरूर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद कांग्रेस की ओर से नारा लगाया गया कि हमें इस प्रकार की असेम्बली नहीं चाहिये, इस प्रकार का प्रान्त नहीं चाहिये। पार्टी के आधार पर इस प्रकार के नारे लगाये गये जो दिल्ली की जनता के हित में नहीं थे और इसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की जनता के हित की बातों को राजनीतिक कलाबाजियों की वजह से तिलांजली दे दी।

दिल्ली नगर स्वयं एक बहुत बड़ा प्रदेश है जिसकी आबादी करीब 40–50 लाख की है। जब आपने चार लाख की आबादी का मेघालय प्रान्त बना दिया है, मीजोराम प्रान्त बना दिया है, मणिपुर का बना दिया है, इतने छोटे छोटे प्रान्त बना दिये हैं, तो दिल्ली जिसकी आबादी करीब 40–50 लाख के है, उसका एक अलग प्रान्त बनाने में आपको क्या दिक्कत है? क्या दिल्ली की 40–50 लाख जनता की आवाज का कोई मूल्य नहीं है? आप जब चार, पांच लाख आबादी के लोगों की आवाज के मूल्य को मानते है, तो दिल्ली की जनता की आवाज को क्यों नहीं मानते है? आप कहते हैं कि वहां के लोगों की संस्कृति अलग है, उनकी भावना अलग है, मैं समझता हूं कि अभी श्री रणबीर सिंह जी ने दिल्ली प्रदेश के इतिहास के आपके सामने उपस्थिति किया था। दिल्ली की अपनी संस्कृति और परम्परा है तथा उसकी भावना भी है और मैं समझता हूं कि यह दृष्टिकोण दिल्ली प्रशासन और केन्द्रीय सरकार भी मानती होगी। जैसे लखनऊ है, लखनऊ हांलाकि उत्तर प्रदेश का एक अंग है, लेकिन लखनऊ और उसके आसपास का जो इलाका है, उसकी अपनी संस्कृति है और अपनी भावना है तथा अपनी विचारशैली है। इसी तरह से दिल्ली का भी अपना एक ढांचा है, अपनी एक संस्कृति का वातावरण है और अपने रहने की एक शैली है। अभी चौधरी रणबीर सिंह जी ने इस बात को बतलाया था कि दिल्ली प्रशासन पहले एक अलग प्रान्त के रूप में था, लेकिन 1857 की क्रान्ति के बाद विदेशी अंग्रेज सरकार ने इसको छिन्न भिन्न कर डाला और दिल्ली को छोटा बना दिया। अब इनका विचार है कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली बना दी जाय और इसको हरियाणा के साथ मिला दिया जाये। मैं समझता हूं कि शायद वे पुरानी सेक्रेटेरियट बिल्डिंग को देखकर ललचा गये हों और उनके मुंह में पानी आ गया हो। परन्तु यदि जब वह हरियाणा में जाकर यह बात कहें, चंडीगढ़ का क्लेम छोड़ दें, तब उन्हें मालूम होगा कि हरियाणा

की जनता उनके इस प्रस्ताव को मानती है या अस्वीकार कर देती है। मैं समझता हूं कि जो नारा उन्होंने आज दिया है वह हरियाणा के लोगों के हित में नहीं होगा और वहां की जनता इस नारे की स्वीकृत नही देगी।

दिल्ली प्रान्त बड़ा बने इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। हरियाणा दिल्ली प्रान्त के साथ मिल जाये, यहां असेम्बली बन जाये, इसमें जनसंघ पार्टी या किसी पार्टी के दो मत नहीं हो सकते। आज जनाहत का प्रश्न नहीं है अपितु इस देश में पहले पार्टी का हित है और फिर जाति का हित है। भाषा के आधार पर अलग ग्रुप बनाया हुआ है। विशाल हरियाणा का नारा लगाया गया। उत्तर प्रदेश में भी, हमारे यहां नारा लगाया गया है। वह किस आधार पर लगाया गया है? अर्थात् एक ऐसा प्रान्त बन जाय जिसमें उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ मुजफ्फरनगर जिला, बुलन्दरशहर जिला, भरतपुर, मथुरा और राजस्थान का इलाका निकाल कर मिलाया जाय जिसमें जाट जाति का बहुमत हो। अतः विशाल हरियाणा जनता के हित के लिए है सो बात नहीं है उसके पीछे--ने भाषण सुने हैं हरियाणा के लोगों के--यह भावना है कि वहां का जाट चीफ मिनिस्टर बनेगा, जाटोंका प्रोविन्स बनाया जायगा। कहीं ब्राह्मण हो तो वे चाहते हैं कि 4-5 जिले मिला कर एक राज्य बना दिया जायेगा, ब्राह्मणों का राज्य होगा, कहीं ठाकुर चेष्टा करते है कि उनका इलाका बन जाय, कहीं कुछ धर्मावलम्बियों का बन जाय। तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो इस प्रकार के सुझाव आते हैं वे देश हित में कभी भी नहीं हो सकते। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस विधेयक के पीछे ो भावना है कि दिल्ली प्रान्त की जनता को, 44 लाख जनता को, जो तेजी के साथ बढ रही है, अपने भाग्य का निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए, वह उसे दिया जाय।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM SAHAI) IN THE CHAIR]

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस बात का उत्तर देने की कृपा करेंगे कि दिल्ली की जनता अगर अपने भाग्य का निर्णय करने का अधिकार मांगती है तो इसमें केन्द्रीय सरकार को आपत्ति क्या है? अगर दिल्ली की जनता अपने भाग्य का निर्णय प्रजातांत्रिक आधार पर करना चाहती है तो इसमें केन्द्रीय सरकार ो क्या आपत्ति है? मैं इसमें कोई अधिक बात नहीं कहना चाहता। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। आज दिल्ली प्रान्त में सबसे बडी समस्या पानी की है, ट्रांसपोर्ट की है और जितना दिल्ली प्रांत बढ़ता जाता है उतनी ही परिवहन की समस्या बढ़ती जाती है। बड सरलतासे इस समस्या का समाधान हो सकता था। एक कदम लिया जनसंघ प्रशासन ने इस समस्या का समाधान करने के लिए और वह यह था कि जो प्राइवेट बस ओनर्स थे उनको कहा कि तुम आओ, अपनी बस चलाओ, उनसे कहा कि तुम 25 रुपए रोज दो, ो भी आमदनी तुमको किराए से हो वह तुम लो। प्राइवेट बस वाले 25 रुपये नित्य सरकार को दे रहे, अपना खर्चा निकालते रहे और आमदनी भी करते रहे।

**श्री महावीर त्यागी:** उनकी बसेस में तब बिना टिकट के सफर नहीं होता था।

**श्री ओइम् प्रकाश त्यागी:** बिना टिकट भी नहीं होता था और त्यागी जी, जो मैं आपको एक समाचार दूं कि बसेज को जाते हुए ओवरलोड करते जाते थे जो सवारियां मिल ी थीं उनको कहते थे आओ। अब उसके पश्चात् क्या स्थिति बनी। मुझे बसों में चलने का मौका मिलता है। बस खाली जा रही है, बस में और सवारियां आ सकती हैं, लेकिन कन्डक्टर सीटी बजाता हुआ चला जाता है, स्टड पर रुकती ही नहीं

[श्री ओइम् प्रकाश त्यागी]

लेकिन पहले प्राइवेट बसों के सम्बन्ध में यह बात नहीं थी और उस समय यह नारा लगाया गया था कि दिल्ली प्रशासन प्राइवेट बस ओनर्स के साथ मिलकर धांधली चला रहा है, उन लोगों से पैसा ले रहे है, इस तरह के आक्षेप लगे। अब दिल्ली प्रशासन कांग्रेस के हाथ में है। अब क्या किया है, क्या प्राइवेट बसों को निकाला है? क्यों नहीं निकाला। आज डी० टी० सी० में आमदनी का जो जरिया है वह प्राइवेट बसेज के द्वारा है, नहीं तो अधिकांश सरकारी बसें किसी न किसी बहाने से बेकार खड़ी रहती हैं। मैं आज मंत्री जी को सलाह देता हूं उससे दिल्ली में एक महीने के अन्दर परिवहन की कोई समस्या नहीं रह सकती। आप अलाऊ कीजिये और आप ऐसा ऐलान कर दीजिये कि जितने प्राइवेट बसेस वाले हैं सब को लाइसेंस और पर्मिट मिलेगा। आप उनसे 25 रु० रोज लीजिये और आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर अपनी बसों को कुछ समय के लिए खड़ा कर दीजिये। प्राइवेट बस वाले दिल्ली की एक एक सड़क और एक एक गली में आ कर के खड़े हो जायेंगे। उस से सरकार को आमदनी ही आमदनी होगी और कोई शिकायत नहीं होगी। हां, एक शिकायत होगी कि बस वाले ओवरलोड कर रहे हैं। यह शिकायत आयेगी कि बसेज में ओवरलोड हो रहा है। मेरा सुझाव है कि आप ऐलान कर दीजिये कि प्राइवेट बसेज में स्टैंडिंग कोई सवारी अलाउड नहीं होगी, खड़े हो कर के कोई यात्री बसों में नहीं चलेगा, सब बैठ कर ही चलेंगे। अगर आप चाहें तो आप 10,12 या 15 स्टैंडिंग अलाऊ कर दीजिये। इस से दिल्ली परिवहन की समस्या का समाधान हो जायगा। परन्तु यहां एक एलर्जी है एक इस प्रकार की भावना पैदा हो गई है कि विदेशी हर चीज अच्छी होती है और अपनी स्वदेशी वस्तु कैसी भी हो पर वह अच्छी नहीं होती। स्थिति यहां तक दयनीय है यहां कि फैक्ट्रियों की बनी हुई चीजों पर "मेड इन अमेरिका" या "मेड इन इंग्लैंड" लिखा हुआ हो तो वे बड़े आराम से चलती हैं, लेकिन यहां की चीजें भारतीय नाम से नहीं चलती हैं। दूसरे यहां राष्ट्रीयकरण एक प्रकार से प्रगतिशीलता का चिन्ह बन गया है। जो सदस्य अपने भाषण का अन्त इन शब्दों के साथ नहीं करता कि इन फैक्ट्रियों का राष्ट्रीयकरण किया जाये, शुगर मिल का राष्ट्रीयकरण किया जाये, खेतों का राष्ट्रीयकरण किया जाये, आदमियों का राष्ट्रीयकरण किया जाय, उस सदस्य का भाषण समय के अनुसार नहीं माना जायेगा। राष्ट्रीयकरण को मैं बुरा नहीं मानता। जहां राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक हो वहां होना चाहिये। लेकिन जहां आवश्यक नहीं है वहां केवल इस का नारा लगाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। राष्ट्रीयकरण हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हमारा कोई ध्येय नहीं है। लेकिन जहां राष्ट्रीयकरण करना जनता के हित में है और करना आवश्यक है वहां करना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीयकरण के लिए नहीं होना चाहिए। अगर प्राइवेट बसेज के द्वारा दिल्ली परिवहन की समस्या हल हो सकती है तो उनको इस का अवसर प्रदान करना चाहिए। यह प्राइवेट बसों को, प्रोत्साहन देने का प्रश्न नहीं है। आप किसी प्राइवेट व्यापारी को प्रोत्साहन न दें, लेकिन अगर उस के द्वारा किसी समस्या का समाधान होता हो तो उस के लिए आप को पीछे नहीं रहना चाहिए। मैं एक अपने अनुभव की बात बता कर अपनी बात का उपसंहार करूंगा कि कभी कभी राष्ट्रीयकरण से स्थिति क्या बनती है। मैं यहां से मुरादाबाद जा रहा था और उस के लिए मैं यहां दिल्ली के बस स्टैंड पर चला गया। दो बसें वहां मुझे मिल रही थीं। एक उत्तर प्रदेश की प्रान्तीयकरण की हुई बसें थी और दूसरी गढ़मुक्तेश्वर जाने वाली प्राइवेट बसें थी। मेरा इरादा मुरादाबाद जाने का था, लेकिन मैंने देखा कि

वहां बड़ी भीड़ जमा हुई थी। मैंने पूछा कि क्या बात है। बस तो खड़ी है, वे लोग टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं। लोगों ने बताया कि अभी टिकट नहीं दे रहे हैं। मैंने वहां जा कर पूछा तो पता लगा कि टाइम नहीं हुआ है। मैंने कहा कि सवारियां हैं, बस खड़ी हुई है, बैठ तो जाने दें। आप लोगों को बिठाइये तो सही। उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं। कोई नहीं बैठेगा, जो चाहो कर लो। मैंने सोचा कि भीड़ ज्यादा है इस कारण मैं गढ़मुक्तेश्वर हो कर ही चला जाता हूं। वहां से मुरादाबाद की बस मिल जायेगी। मैं उस के स्टैंड पर गया वहां एक सरदार साहब खड़े हुए थे। प्राइवेट बस का वह अड्डा था। उन्होंने पूछा, कहां जाना है। बताया गढ़मुक्तेश्वर। उन्होंने कहा कि बैठो, बैठो। टिकट ? तो कहने लगे कि अंदर ही मिलेगा। मैं जा कर अंदर बैठ गया और गढ़मुक्तेश्वर पहुंच कर गाड़ी चेंज की और फिर मुझे उसी उत्तर प्रदेश की बस का सामना करना पड़ा। वहां उस पूरी बस में केवल तीन सवारियां थीं। बस निकल रही थी। नवम्बर का महीना था। बस बस स्टैंड से निकली तो कोई 12 या 14 मुसलमान व्यापारी जो मुरादाबाद के थे अपने कंधों पर सामान और कपड़ा रखे हुए थे और आ रहे थे। उन्होंने बस को हाथ दिया, कहा कि रोको। उन्होंने पूछा कि कहां जा रहे हो, बताया गया मुरादाबाद। उन्होंने कहा कि हम भी वहां जाना चाहते हैं, लेकिन कंडक्टर ने उन लोगों को गाड़ी में नहीं लिया। मैंने कंडक्टर को कहा कि शाम का टाइम है, उन लोगों को ले लो, जाड़े में वे कहां रहेंगे। उस ने कहा कि नहीं, चलो। बस कोई रेल तो है नहीं जो चलने के बाद रुक नहीं सकती, रेल में भी जंजीर होती है, लेकिन उस ने बस रोकी नहीं और पूरी बस केवल तीन सवारियां ले कर हो चली गयी। दो, तीन मील जाने के बाद मैंने कंडक्टर को कहा कि भाई, जरा यहां आना। मेरे पास बैठो। वह आ कर पास में बैठ गया। मैंने कहा कि एक बात बताओ। मैंने कहा कि सच बताना कि अगर यह बस तुम्हारी होती तो उन सवारियों को तुम बैठाते या नहीं? उस ने कहा कि मैं तो उन को चाचा, ताऊ और पिता जी कह कर बिठलाता। उसने कहा कि यह हमारी बस तो है नहीं, मुझे तो तनख्वाह मिलती है। इस से हानि हो या लाभ उस से हमें क्या मतलब। तो बसेज हैं लेकिन जिन के हित के लिए वह हैं उन को उन का लाभ नहीं मिल पाता। राष्ट्रीयकरण आप ने उन का जनता के हित में किया, लेकिन जनता को ही उन का लाभ नहीं हो पाता। वहां जनता के उतने लोग खड़े हुए रह गये और बस चली गयी, इस प्रकार की अगर भावना है तो मैं समझता हूं कि वह हितकारी नहीं है। इसी लिए मैं कह रहा हूं कि आप इस विधेयक की भावना को ध्यान में रखिये। इस विधेयक की पूरी भावना यह है कि जनता का हित अगर कहीं, किसी प्रकार से संभव हो सकता है तो वह प्रजातांत्रिक आधार पर, जनता की आवाज के द्वारा, जनता की सहायता से होना चाहिए और इस आधार पर जो भी आप ढांचा बनायेंगे, जो भी प्रशासनिक ढांचा खड़ा करेंगे उस में जनता का हित हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं सरकारी बेंचेज से कि इस भावना का ध्यान करते हुए आप भी इस को स्वीकार करेंगे।

SHRI G. A. APPAN (Tamil Nadu) : Mr. Vice-Chairman, I am bound to make certain observations regarding the Bill. The objects of the Bill are mentioned here :

> "The brief existence of the Metropolitan Council has shown that the Council can more effectively serve the people of Delhi if the Executive Council is made directly responsible to the popularly elected Metropolitan Council and in day to day business.

[Shri G. A. Appan] it remains free from the control of Central Government. The powers and privileges granted to legislative bodies should also not be denied to the Council."

Of course I do not think any of us can deny the soundness of the objects mentioned here as far as they are concerned. Mr. Vice-Chairman, the people elect their representatives. If the elected representatives are not given freedom to act in the best interests of the large majority of the most common people, what is the value of any franchise at all ? Why should anybody interfere in the freedom of the working of the elected representatives ? Supposing the elected representatives are not behaving in an honest way or are behaving in a biased way, then the Central Government or the topmost authority has a right to interefere. As long as they behave in an honest way, the Central Government or any other supreme body has no right whasoever to interfere. Of course, I have been coming to Delhi even from 1946. For the last four years and more I am here visiting a number of slums in Delhi City in the metropolitan area. Is it not the duty of the elected representatives of this area to provide even the minimum amenities of drinking water. In a number of areas I have seen. I have written and represented to the hon. Minister in charge of Housing and but for his help many an area would have been denied even drinking water. Suppose there is no place for anybody to have his abode or habitation, the duty of the State and the elected representatives is to see that provision is made, that places are found for settling these people. You konw, the three main necessities are food, shelter and clothing. Shelter, in the middle, is very very important. And in the biting cold in the winter season, in the cold season, during the hot season, people are not able to have their own accommodation an a proper way. Ten days back I visited four or five slums here. People do not have even schools. I have a request to make to the Leader of the House here. Of course, I had been wanting to write to him. But now that he is here when this Bill is discussed I would say this. It is 25 years now. We could not provide even the basic elementary education, though not for the 8th class, at least for the 5th standard. Is it not the duty of the Government and of the elected representatives of this State also to see that in every slum, in every poor locality there is at least an elementary school ? Last week some police van pulled down a good school. I counted 40 boys. I went to the police people who pulled down the school and asked them not to interefere. On the third day their police van has again pulled down the school in a slum area when there was no cause for it at all. The Minister of State is here. I request him to, please, listen to me. I am not crying here in the wilderness. Will the Government, will the elected representatives here, come forward to visit all the slums within a week or month and find out how many slums are denied drinking water or elementary schools and will they provide elementary schools in every slum locality ? It is not the duty of the State to help the rich people to build up big industries and to build big industrial or business houses, but the basic minimum amenities of drinking water, housing and elementary education should also be provided for the poor. Of course, the hon. Minister who was then in charge of Housing knows how the Tamil Nadu Government has solved the housing problem for the teeming millions in the slums, in the juggis as they are called here. Could not the Government of India or the Government of Delhi come to that stage ? Why not they take a lesson at least from the Tamil Nadu Government to solve the problem of housing and if the Central Government is to take the full reins, I do not mind provided

they do not interefere with the normal duty of the elected representatives. Regarding the facilities of travel and conveyance, you know, the bus system is so poor. Could you not at least increase the fleet and the scooterwallas ? The scooterwallas here are very very unfair. The taxi people are the best people that I have seen in the whole of India. Try to help the taxi people here to get their needs and see that the taxis and the scooterwallas do not exploit the people. In the buses I have seen number of people not getting tickets. Then there is the other case. If a conductor wants a passenger to buy his ticket he begins to quarrel. Therefore, there is so much loophole in the matter of ticket booking in the buses. The Government should do something in the matter.

Sir, I want that the elected representatives of both the Metropolitian Council and the Centre should see that a detailed estimate and statistics is taken about the very, very common man, Sadharan Manushya, or the very poor man who fs below the subsistence level to see that elementary education is provided. Then there are any number of unemployed people. Would you just start some small cottage industry or khadi industry or village industries to help these unemployed people and also to see that the sufferings of these people are mitigated and they are put on par in their living conditions with the medium or the middle class income group ?

Then, Sir, I want the hon'ble Minister in charge to see that every slum, every jhuggi and jhonpri is provided with drinking water. I see everywhere open space still I find horrible conditions in slum areas, pitiable condition. They are worse than pigs. I have visited a number of countries like Afghanistan, Iran, Turkey, Kuwait etc. I was in the G.D.R. for 22 days. But I could not find there a single hut or a hovel or pigs' dens. Is it not the duty of the Metropolitan Council here and. the Central Government to see that these jhuggis and jhonpries and slums are removed at the earliest ? Can you fix a date for this or your promises are mere crocodile tears or jocular lip service ? Let us be honest. In this-Silver Jubilee Year let the Prime Minister of India and other Ministers take a vow that they will go and settle down in slums in the jhuggis and jhonpries, and that every M.P., every educated man, every officer will adopt a small village or a small jhonpri to see that they will stand by it. They are spending so much. If one Member of the Metropolitan Council or Parliament adopts a home in the neighbouring areas, as his own home, then Gandhiji's dream, Nehruji's dream will come true and the prophecies and promises of our revered Prime Minister, Garibi Hatao, will be fulfilled. So whenever the elected representatives want to undertake something constructive let there be no interference from either the Central Government or any other authority. So I support the Resolution with this reservation and qualification that whatever any elected representative body chooses to do anything in the common interest or the majority common interest, let no' higher authority interfere.

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON (Kerala) : Mr. Vice-Chairman, Sir, Delhi is the Capital of the country and its administration should be carried on efficiently and in a democratic manner. After all, what happens in Delhi or how things happen in Delhi becomes a lesson for the rest of the-country. Therefore, its administration and its problems have to be looked at in a different way. As far as our party is concerned, we are against Delhi being kept separate as a city State because experience has proved during-the last few years that Delhi being kept as a separate State does not help in solving any of its problems. Take, for example water supply. Now there will

[Shri K. P. Subramania Menon] be hardly any Capital in any country in the world where such a bad water supply system exists. After all, we very often take poison in the name of water. And it has been admitted by the Health authorities themselves that the water supply in Delhi is one of the worst, always polluted. Take another problem, the transport problem. I do not think there is any other city in India where there is such a poor transport system. Even the poor Kerala has got a better transport system than what the rich Delhi has got. It is such a horrible mess ! You cannot think of travelling in a bus in Delhi with any clear idea of your safety. And how the buses are kept—dirty and stinking. I cannot think how any Capital city can have such a transport service. I thought that after Mr. Om Mehta took over, the service would be a little better. But I find that there is hardly any improvement in the situation. [s]Then take electricity supply. That also is a mess. There is hardly a week when you you do not have a power break-down, when you are not subjected to all sorts of difficulties, especially in May and June when summer is very hot and you find it difficult to live without fans. Taking all these into consideration, our party has been demanding that Delhi should form part of a Greater Delhi State, consisting of parts of Haryana, parts of Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan, the adjacent areas which may form part of a Greater Delhi or Greater Haryana or whatever it is ; I do not mind. But the point is, Delhi being kept separate has not helped in solving any of its problems. Therefore, the best way to find a solution for Delhi's problems is to abolish the Delhi State itself and make it part of a wider area with all the hinterland which it serves so that we can have a better planning of its water and electricity supply and attend to its problems of urbanisation, etc., in a big way and in a better way.

Coming to the Bill, Sir, as you know, we are always against any bureaucratic control over democratic institutions. Therefore, some of the provisions which Dr. Bhai Mahavir has brought deserve very serious consideration and support. For example, why should an elected Council have any nominated members ? We have been against nomination to any elected body. Elected bodies should always be pure and simple and should consist only of elected people. There should be no room for any nomination.

**श्रीमती सविता बहिन (दिल्ली) : जब इलैक्टेड कौंसिल नामिनेटेड मेयर रख सकती है**

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON : Why should it be like that ? You change the Act. I have no objection. Therefore, the point is, there should be no room for any nominated persons in any elected body. Our democracy cannot be diluted in that manner. The moment you start diluting democracy at one stage, it gets diluted at every stage. Sir, the Administrator is given overriding powers under the discretion of the Central Government. Now it is supposed that the Central Government is superior. I should say that the Central Government is the worst run Government in this country, the most inefficient, the most bureaucratic. Why should we consider that there is any particular wisdom in the Central Government ? Therefore, to think that the people of Delhi cannot elect their own representatives is not correct. You make a provision in the Act considering that Delhi is the capital of the country that people from all parts of India come here and reside and they may require some special protection in the matter of language, schools, cultural activities, etc. You make a provision and provide some guiding principles. But this practice of keeping these powers in the Centre or vesting them in a bureaucrat who is nominated by the Centre is thoroughly

wrong, undemocratic, and such provisions should be removed. Therefore, I may not agree with some of the amendments proposed by Dr. Bhai Mahavir, as, for example, the question of language. It may be true that Hindi is most spoken language here. But after all, people from all parts of the country come here and some of us may not know Hindi, some of us may know a little English, some people know some other language. There is also a considerable Muslim population who know Urdu. Considering all these things there should be nothing about language. One should be free in the matter of language. Whatever language is sjpoken in the Council or in the Corporation, it should be accepted as part of the setup in Delhi because the people are like that. This is a cosmopolitan city. Then, as regards the larger problem of Delhi, the only solution for that is to abolish the City State and have a much wider State consisting of parts of Haryana, Western UP and some parts of Rajasthan, and merge Delhi in it. In the meantime all undemocratic provisions in the present Delhi Administration Act by which Delhi administration is carried on should be removed and under no circumstances should a nominated person be put on elected bodies.

SHRI N. H. KUMBHARE (Maharashtra) : Mr. Vice-Chairman, I only want to endorse the broad principles underlying this Bill, namely, that nominations in any form must be done away with. I also share the views of other Members who have said that in a democratic set-up nominations should not find a place. It is true, there should be no objection from the constitutional point of view. But my submission is that we must all look to the spirit of the Constitution. I know of a case where Shri Rajagopalachari was made Chief Minister of the then Madras State. At that time he was not a Member of the Legislative Assembly. Baba Saheb Dr. Ambedkar had then said that even though Mr. Rajagopalachari, who is not a Member of the Legislative Assembly, could be made Chief Minister under the provisions of the Constitution, but this is not in keeping with the spirit of the Constitution. Therefore, I am only supporting that relevant amendment of the Bill for seeking to do away with nomination for this very restricted purpose and I only endorse the principles underlying the Bill relating to democratic election.

Thank vnn

**श्री सुलतान सिंह** (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक भाई महावीर जी ने पेश किया है, मैं समझता हूं कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का अगर दर्जा ऊंचा किया जाए या दिल्ली को स्टेट हुड दिया जाय तो उस से दिल्ली की रेस्पांसिबिलिटीज बढ़ने वाली हैं। दिल्ली के अंदर पानी की कमी है। डा० भाई महावीर जानते हैं कि अगर दिल्ली को स्टेटहुड मिल जाय तो उस से पानी की कमी पूरी नहीं हो जायगी। यहां की नामिनेटेड बाडी हो या एलेक्टेड बाडी हो, उस से यहां के रिसोर्सेज में कोई फर्क नहीं पड सकता है। इस लिए डा० भाई महावीर से खास तौर से मेरी गुजारिश है कि दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन का दर्जा ऊंचा हो इस बात को छोड़ कर दिल्ली में पीने के पानी का इलाज क्या हो, दिल्ली में ट्रांसपोर्ट का इलाज क्या हो, दिल्ली में बिजली का इलाज क्या हो, इस की तरफ वह ध्यान दें। इस का केवल एक ही तरीका है कि जमुना पर जो किसाऊ डैम बन रहा है उस को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय। अभी दिक्कत यह है कि अगर दो दिन जोर से बारिश हो जाय तो डा० भाई महावीर चिल्लाना शुरु करेंगे कि दिल्ली में फ्लड का खतरा है इस लिए हरियाणा की नहरों में पानी चलाओ। जब मई जून का महीना आता है तब दिल्ली वाले चिल्लाते हैं कि दिल्ली में पीने के पानी की कमी है और उस के लिए हरियाणा से पानी काट कर दिल्ली में दिया जाय। इस तरह

[श्री सुलतान सिंह]

जब फ्लड आता है तो वह कहते हैं कि पानी को हरियाणा में पुंकों और जब खुश्की आती है तब कहते हैं कि हरियाणा से काट कर पानी हमें दो। तो इन सारी मुसीबतों का इलाज यह है कि दिल्ली को हमें दे दो। (*Interruption*) इस से सारी दिक्कत दूर हो सकती है।

डा० भाई महावीर जानते हैं कि अगर दिल्ली को स्टेटहुड मिल जाय तो उस से पीने का पानी का इलाज होने वाला नहीं है। स्टेटहुड होने से दिल्ली में कोई डैम नहीं बन सकता और दिल्ली में दूसरा पानी का कोई इलाज नहीं हो सकता। इसके लिए जैसा कि भाई रणवीर सिंह जी ने कहा कि किसाऊ डैम पर काम शुरु किया जाय। इस से जब फ्लड आता है तो वह पानी वहां पर रोका का सकता है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री राम सहाय)** : अब आप फिर बोलियेगा।

The House stands adjourned till 11 A.M. on Monday.

The House then adjourned at five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 14th of August, 1972.

GIPN-S 4-11 R.S.S./72-25-11-72-570.